

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-164

जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है ।

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना

*164. श्री सालिम अन्सारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बहुत अधिक ऋणग्रस्त राज्य विद्युत वितरण और उत्पादन कंपनियों का कायापलट करने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 09.05.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 164 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : जी हाँ। भारत सरकार ने राज्य-स्वामित्व की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कार्यापलट के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारंभ की है। इस स्कीम में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य, 30 सितंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉम के ऋण का 75% भाग दो वर्षों में लेंगे - डिस्कॉम के ऋण का 50% भाग वित्त वर्ष 2015-16 में तथा शेष 25% भाग वित्त वर्ष 2016-17 में लिया जाएगा।

इस स्कीम का लक्ष्य ब्याज भार में कमी, विद्युत लागत में कमी, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानियों में कमी तथा डिस्कॉम की प्रचालन दक्षता में सुधार करने का है। स्कीम में, राज्य को दो वर्षों के लिए मौद्रिक उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) सीमाओं से डिस्कॉम ऋणों को उठाने से छूट देकर घरेलू कोयले की बढ़ी हुई आपूर्ति, कोयला लिंकेज योजितकरण अदक्ष से दक्ष संयंत्रों को कोल स्वैप की उदार अनुमति; राज्यों को अधिसूचित दरों पर कोल-लिंकेज का आबंटन करके तथा यदि वे स्कीम के प्रचालन माइलस्टोन पूरा करें तो उन्हें विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्कीमों में अतिरिक्त/अधिमानतः वित्त पोषण देकर प्रोत्साहित भी किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1675
जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का बंद होना

1675. श्री रिपुन बोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के बंद होने के क्या कारण हैं;
- (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के शुरू किए जाने के वर्ष से लेकर इसके बंद होने तक देश के गांवों के विद्युतीकरण में उक्त योजना की प्रगति और उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) देश के शेष गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक कार्यक्रम विचारार्थ लिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) में समाहित किया गया है। डीडीयूजीजेवाई में व्यापक कार्यक्षेत्र सहित पूरी नम्यता प्रदान की जाती है क्योंकि परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए 100% सब्सिडी तथा कोई न्यूनतम जनसंख्या मानदंड नहीं है। इसके अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत आती हैं, अनिवार्य रूप से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में शामिल किया जाना होता है तथा स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना सभी डिस्कॉमों को भी शामिल किया जाता है।

(ख) : स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार उपलब्धियां अनुबंध पर हैं।

(ग) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में 43033 करोड़ रुपए की कुल राशि से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अनुमोदित की है जिसमें वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण तथा संवर्धन शामिल है।

राज्य सभा में दिनांक 09.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1675 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार उपलब्धि		
क्रम सं.	राज्य	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धि
1	अरुणाचल प्रदेश	2252
2	असम	9153
3	बिहार	25040
4	छत्तीसगढ़	1692
5	हिमाचल प्रदेश	91
6	जम्मू व कश्मीर	239
7	झारखंड	18212
8	कर्नाटक	55
9	मध्य प्रदेश	998
10	मणिपुर	883
11	मेघालय	1842
12	मिजोरम	170
13	नागालैंड	102
14	ओडिशा	15644
15	राजस्थान	4304
16	सिक्किम	25
17	त्रिपुरा	150
18	उत्तर प्रदेश	29113
19	उत्तराखंड	1514
20	पश्चिम बंगाल	4192
	कुल	115671

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1676
जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है ।

केरल में नए विद्युत संयंत्र

1676. श्री अब्दुल वहाब:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कुछ विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद, विद्युत के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की प्रौद्योगिकी आर्थिक स्वीकृति आवश्यक नहीं है। केरल सहित ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए सीईए में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

सीईए द्वारा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत केरल में एक जल विद्युत परियोजना अर्थात्, अथिरापल्ली एचईपी (2x80 + 2x1.5 = 163 मेगावाट) को 31.03.2005 को सहमति दी गई थी, जिस पर संबंधित यूटिलिटी द्वारा निर्माण शुरू नहीं किया गया है।

केरल में दो जल विद्युत परियोजनाएं अर्थात् केएसईबी की थोटियार (40 मेगावाट) एवं पल्लीवसल (60 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1677

जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है ।

रामागुंडम चरण-IV विद्युत परियोजना की स्थिति

1677. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना के करीमनगर जिले में रामागुंडम चरण-IV (2x800 मेगावाट) विद्युत परियोजना की स्थिति क्या है और इस परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ख) इस संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच किस प्रकार बांटा जाएगा और तेलंगाना सरकार द्वारा एनटीपीसी को विद्युत की कितनी लागत देय होगी; और

(ग) इस परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) संबंधी प्रतिवेदन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और प्रतिवेदन के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनटीपीसी की 2x800 मेगावाट तेलंगाना सुपर ताप विद्युत परियोजना (एसटीपीपी) चरण-I [पूर्व नाम रामागुंडम चरण-IV (2x660 मेगावाट)] का निर्माण एनटीपीसी के वर्तमान रामागुंडम सुपर ताप विद्युत स्टेशन के परियोजना परिसर में किया जा रहा है। तेलंगाना चरण-I परियोजना का निवेश अनुमोदन दिनांक 29.01.2016 को दिया गया था और मुख्य संयंत्र पैकेज दिनांक 05.02.2016 को अवाई किए गए थे।

(ख) : विद्युत मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य को 85% विद्युत आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अनुसार, परियोजना के प्रशुल्क का निर्धारण, परियोजना के पूरा होने के पश्चात्, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा किया जाएगा।

(ग) : तेलंगाना चरण-I परियोजना की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष अनुबंध में संलग्न हैं। विस्तृत ईआईए रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सभा में दिनांक 09.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1677 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तेलंगाना एसटीपीपी चरण-I (2x800 मेगावाट) (पूर्व नाम रामागुंडम एसटीपीपी चरण-IV)
की ईआईए रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के विचारार्थ विषय के आधार पर एनटीपीसी द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन किया गया था। इसके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. अध्ययन के समय विभिन्न पर्यावरणीय विशेषताओं की गुणवत्ता सामान्य सीमाओं के भीतर थी और परियोजना के निर्माण एवं प्रचालन से पर्यावरण पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
2. परियोजना के लिए भूमि पहले से ही एनटीपीसी के अधिकार में है और परियोजना के लिए जल का आवंटन, अन्य उपयोगकर्ताओं हेतु जल की उपलब्धता पर विचार करते हुए, राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। अतः इससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।
3. चूंकि यह भूमि एनटीपीसी के अधिकार में पहले से ही है इसलिए पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास से संबंधित कोई मामला नहीं है। तथापि, एनटीपीसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत स्थानीय लोगों के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ करेगी।
4. एनटीपीसी ने परियोजना से होने वाले वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों की परिकल्पना की है। इन प्रणालियों के कार्यान्वयन से, वायु, जल और ध्वनि पर्यावरण की गुणवत्ता स्वीकार्य मानकों के भीतर रहेगी।
5. कामगारों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ईआईए रिपोर्ट में आपदा प्रबंधन योजना भी प्रस्तावित की गई है जिसे किसी आपातकालीन स्थिति के प्रबंधन के लिए स्थल पर कार्यान्वित किया जाएगा।
6. परियोजना से उत्पादित राख का सीमेंट, कंक्रीट, ईट, ब्लॉक, टाइल, निर्माण कार्य आदि में उपयोग करने की योजना बनाई गई है और इसे स्थल पर कार्यान्वित किया जाएगा। उपयोग न की गई राख के सुरक्षित निपटान के लिए ऐश डाइक बनाए जाने का प्रस्ताव है।
7. एनटीपीसी ने संयंत्र में तथा साथ ही साथ बाहर के अनेक क्षेत्रों में वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तेलंगाना एसटीपीपी में भी सभी उपलब्ध स्थानों में इसी प्रकार के प्रयास जारी रखे जाएंगे।
8. एनटीपीसी नियमित पर्यावरणीय कार्यक्रम शुरू करेगा और निगरानी के परिणाम तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) को और एमओईएफएंडसीसी के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
9. इस परियोजना के विकास से विद्युत मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करने तथा लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के संबंध में बहुत लाभदायक प्रभाव पड़ेंगे।
10. परियोजना से किसी भारी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव न पड़ने और पर्याप्त लाभ मिलने के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित परियोजना विद्युत की कमी वाले क्षेत्र तथा साथ ही साथ राष्ट्र के लिए लाभदायी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1678

जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है ।

‘गर्व’ ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों में विसंगति

1678. प्रो. एम. वी. राजीव गौडा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हेतु ‘गर्व’ ऐप के संबंध में प्रदान किए गए तत्काल आंकड़ों में विसंगतियों के संबंध में जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय की ‘गर्व’ ऐप पर गलत आंकड़ों की अपलोडिंग को रोकने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ग्राम विद्युत अभियंताओं (जीवीए) वाले निगरानी तंत्र पर पुनः विचार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : गांवों के विद्युतीकरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित आंकड़ों की रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों तथा राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा दी जाती है तथा इसे मोबाइल ऐप गर्व पर डाल दिया जाता है। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के प्रचालनीकरण की नोडल एजेंसी होने के नाते, ग्राम विद्युत अभियंताओं (जीवीए) को तैनात किया है जो गांवों में जाते हैं तथा स्थिति की रिपोर्ट देते हैं। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो आरईसी द्वारा राज्यों/डिस्कॉमों को स्थिति में सुधार करने की सलाह दी जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1679
जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है ।

बिजली की दरों में समरूपता

1679. श्री प्रभात झा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की अलग-अलग दर लागू है और इसमें समरूपता लाने की आवश्यकता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार पूरे देश में एक ग्रिड के तहत एक कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। देश के विभिन्न भागों में विद्युत की अलग-अलग दरें लागू हैं क्योंकि विद्युत स्टेशनों में उत्पादन लागत भिन्न-भिन्न होती है जोकि ईंधन की किस्म, ईंधन के स्रोत, संयंत्र के स्थान, संयंत्र की आयु, यूनिट के आकार, संयंत्र की प्रौद्योगिकी तथा संयंत्र दक्षता जैसे पैरामीटरों पर निर्भर करती है। अलग-अलग राज्य विद्युत क्रय करार (पीपीए) के आधार पर भिन्न-भिन्न दरों पर विद्युत का प्रापण करते हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए विद्युत की राज्यवार आकलित औसत दरें अनुबंध में दी गई हैं।

(ग) और (घ) : उपयुक्त विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 से 64 के अंतर्गत, प्रशुल्क का निर्धारण, अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के अनुरूप किया जाता है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रण वाली उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों के प्रशुल्क का नियंत्रण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है जबकि राज्य के अंदर के उत्पादन, आपूर्ति एवं पारेषण का प्रशुल्क का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से, राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) सार्वजनिक एवं निजी वितरण लाइसेंसियों, दोनों के लिए समय-समय पर प्रशुल्क निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें अधिसूचित करते हैं। अधिनियम की धारा 61 में दिशा-निर्देश सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें उपयुक्त आयोग को प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करते समय ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। भारत सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क का प्रत्यक्ष विनियमन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

पूरे देश में एकल ग्रिड पर विद्युत प्रदान करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, "एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी" के रूप में प्रचालन हेतु ग्रिड को समर्थ बनाने के लिए अखिल भारतीय सिंक्रोनस राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, पारेषण नेटवर्क में वृद्धि से पूरे देश में विद्युत का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा। देश भर में विद्युत उपलब्धता तथा पारेषण में वृद्धि से कठिनाईयां दूर करके, विद्युत अर्थव्यवस्था "एक कीमत" की ओर बढ़ सकती है।

राज्य सभा में दिनांक 09.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1679 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत की अनुमानित औसत दर को दर्शाने वाला विवरण (01.04.2015 तक)

क्र. म. सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी प्रशुल्क	घरेलू 1 कि.वा. (100 केडबल्यूए च/माह)		घरेलू 4 कि.वा. (400 केडबल्यूए च/माह)		घरेलू 10 कि.वा. (1000 केडबल्यूए च/माह)		वाणिज्यिक क 2 कि.वा. (300 केडबल्यूए च/माह)		वाणिज्यिक क 10 कि.वा. (1500 केडबल्यूए च/माह)		वाणिज्यिक क 30 कि.वा. (4500 केडबल्यूए च/माह)		वाणिज्यिक क 50 कि.वा. (7500 केडबल्यूए च/माह)		कृषि 2 एचपी (400 केडबल्यूए च/माह)		कृषि 5 एचपी (1000 केडबल्यूए च/माह)		कृषि 10 एचपी (2000 केडबल्यूए च/माह)		लघु उद्योग 10 कि.वा. (1500 केडबल्यूए च/माह)		मध्यम उद्योग 50 कि.वा. (7500 केडबल्यूए च/माह)		वृहद उद्योग (11 केवी) 1000 कि.वा. 60% एल.एफ. (438000 केडबल्यूए च/माह)		भारी उद्योग (11 केवी) 10000 कि.वा. 60% एल.एफ. (4380000 केडबल्यूए च/माह)		भारी उद्योग (33 केवी) 20000 कि.वा. 60% एल.एफ. (8760000 केडबल्यूए च/माह)		रेलवे ट्रेक्शन 12500 कि.वा. (25000000 केडबल्यूए च/माह)		
			दर	से	दर	से	दर	से	दर	से	दर	से	दर	से	दर	से	दर	से	दर	से	दर	से	दर	से	दर	से	दर	से	दर	से	दर	से		दर	से
1	आंध्र प्रदेश	01.04.2014	238.50		572.00		730.20		828.17		920.83		941.83		946.03		79.38		74.88		73.38		662.02		649.75		693.53		693.30		648.02		669.52		
2	असम	01.12.2013	398.00		556.90		615.00		698.33		698.33		700.20		700.20		396.19		396.19		527.55		460.67	यू	602.43		557.68		557.68		557.68				
3	बिहार	01.04.2014	360.40	यू	446.53		539.54		628.93	यू	610.56		606.32		605.47		174.00	यू	174.00	यू	174.00	यू	647.62		708.40		676.80		-		645.00		745.53		25 केवी पर
			227.90	आर				286.20	आर							114.00	आर	114.00	आर	114.00	आर												729.63		132 केवी पर
4	छत्तीसगढ़	01.07.2014	291.60		410.40		591.84		522.67		686.93		726.76		734.72		250.00		250.00		250.00		423.84		511.38		579.93		579.93		566.40		636.11		132 केवी पर
5	गुजरात	01.05.2014	405.38	यू	511.75	यू	568.10	यू	568.75	यू	568.75		622.92		640.00		190.00		190.00		190.00		568.33		573.47		567.91		620.76		620.44		578.89		132 केवी पर
			335.94	आर	439.41	आर	496.11	आर																											
6	हरियाणा	01.04.2014	393.00		475.13		613.00		600.00		625.00		765.00		765.00		10.00		10.00		10.00		650.00		763.33		548.29		548.29		559.94		571.10		11 केवी पर
7	हिमाचल प्रदेश	01.08.2014	175.10		275.53		354.32		559.80		539.64		628.00		628.00		123.75		115.50		112.75		509.32		648.70		627.66		704.19		625.40		694.44		
8	जम्मू व करमौर	01.07.2014	186.03		290.25		350.28		401.98		631.54		632.09		632.20		82.35		82.35		82.35		404.23		404.23		427.26		427.26		415.78				
9	झारखंड	01.08.2012	300.00	यू	301.50		313.00		666.67	यू	670.67		671.33		671.47		62.00		62.00		62.00		611.18		611.18		440.13		440.13		427.07		684.41		25/132 केवी पर
			185.00	आर				200.00	आर																										
10	कर्नाटक	01.05.2014	409.16	डी	600.49	डी	659.96	डी	832.10	डी	846.23	डी	848.39	डी	849.06	डी	0.00		0.00		0.00		609.65	डी	716.53	डी	690.62	डी	699.33	डी	697.70	डी	678.40		
			373.12	एफ	549.08	एफ	601.23	एफ	772.03	एफ	786.17	एफ	788.52	एफ	788.99	एफ							577.85	एफ	683.73	एफ	674.45	एफ	680.99	एफ	679.23	एफ			
11	केरल	16.08.2014	350.00		691.00		845.00		854.00		1063.00		1103.00		1103.00		222.98		222.98		222.98		638.67		655.33		606.10		606.10		-		618.89		110 केवी पर
12	मध्य प्रदेश	01.06.2014	466.13	यू	654.80	यू	722.12	यू	748.75	यू	754.00	यू	754.88	यू	755.05	यू	335.00		330.25		367.63		538.67	यू	741.67	यू	702.81		702.81		713.54		647.22		132/220 केवी पर
			438.88	आर	637.89	आर	698.16	आर	729.75	आर	734.87	आर	735.72	आर	735.89	आर							480.22	आर	661.73	आर									
13	महाराष्ट्र	01.08.2012	432.40		709.65		879.75		865.22		963.81		1160.15		1160.15		220.00		220.00		220.00		573.35		877.05		824.63	बी	824.63	बी	-		781.00		
14	मेघालय	01.04.2013	300.00		367.50		396.00		529.33		540.00		541.78		542.13		185.92		185.92		185.92		471.67		471.67		488.86		488.73		473.70		-		
15	ओडिशा	01.04.2014	327.60		445.90		515.32		606.67		695.41		710.20		713.16		112.20		112.20		112.20		561.60		572.40		606.79		606.74		606.74		640.88		25/33 केवी पर
16	पंजाब	01.04.2014	574.04		719.81		767.95		896.09		900.31		901.10		901.15		515.28		515.28		515.28		779.32		820.76		747.71		747.71		834.57		932.75		132 केवी पर
17	राजस्थान	07.05.2015	582.50		571.88		587.25		730.00		754.00		772.44		774.80		404.50		404.50		404.50		594.68		643.62		650.51		-		627.09		627.78		
18	तमिलनाडु	12.12.2014	160.00		513.75		601.50		816.38		839.48		843.33		844.10		0.00		0.00		0.00		669.20		667.24		759.98		770.48		759.98		801.67		
19	उत्तर प्रदेश	10.04.2014	480.00	यू	505.00	यू	545.00	यू	738.33	यू	778.33	यू	785.00	यू	786.33	यू	435.00	यू	435.00	यू	435.00	यू	755.00	यू	755.00	यू	761.04	यू	761.04	यू	723.32		858.82		132 केवी से कम

			275.00	आर	275.00	आर	275.00	आर	298.33	आर	298.33	आर	298.33	आर	122.50	आर	122.50	आर	122.50	आर	642.50	आर	642.50	आर	647.63	आर	647.63	आर			858.82	132 केवी और उससे अधिक				
20	उत्तराखंड	01.04.2014	284.00		317.25		351.80		493.33		493.33		570.13		570.13		125.00		125.00		125.00		461.60		486.67		521.05		521.05		521.05		494.12			
21	पश्चिम बंगाल	01.04.2013	541.36	यू	741.04	यू	838.35	यू	785.02	यू	919.36	यू	935.80	यू	939.09	यू	392.29		392.29		392.29		687.96	यू	811.93	यू	836.53		836.53		802.03		804.11	25 केवी पर		
			527.51	आर	727.88	आर	833.09	आर	783.33	आर	919.01	आर	935.68	आर	939.02	आर							673.61	आर	791.16	आर							782.11	132 केवी पर		
22	अरुणाचल प्रदेश	01.04.2014	400.00		400.00		400.00		500.00		500.00		500.00		500.00		310.00		310.00		310.00		420.00		420.00		375.00		375.00		340.00		-			
23	गोवा	01.04.2014	160.00		221.88		288.25		441.67		481.00		507.00		512.20		140.00		140.00		140.00		330.00		390.00		450.74		450.74		450.74		-			
24	मणिपुर	01.09.2012	302.20		422.20		422.20		442.20		484.87		476.27		476.27		274.58		274.58		274.58		292.20		406.27		407.57		407.57		-		-			
25	मिजोरम	01.04.2014	280.00		408.75		448.50		466.67		541.33		553.78		556.27		182.46		182.46		182.46		443.33		443.33		426.12		426.12		-		-			
26	नागालैंड	01.04.2014	402.00		505.50		550.20		680.00		768.00		782.67		785.60		270.00		270.00		270.00		476.67		548.00		599.11		599.91		-		-			
27	सिक्किम	01.04.2014	167.50		335.63		398.25		469.17		524.17		534.72		536.83		235.00		235.00		235.00		327.50		436.25	यू	550.00	यू	417.65		530.87		530.87		-	
28	त्रिपुरा	01.04.2014	521.50		755.00		755.00		691.50		768.33		768.33		768.33		366.19		366.19		366.19		477.38		740.00		764.00		-		-		-			
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	01.04.2014	210.00		417.38		488.25		605.50		719.60		747.37		752.92		131.25		131.25		131.25		505.75		521.15		-		-		-		-			
30	चंडीगढ़	01.04.2014	239.00		357.75		412.50		497.67		520.33		525.22		526.20		230.00		230.00		230.00		455.00		507.67		496.98		582.03		482.40		-			
31	दादर व नागर हवेली	01.04.2014	150.00		192.50		230.00		308.33		329.67		333.22		333.93		70.00		70.00		70.00		345.00		392.34		470.88		473.03		-		-			
32	दमन व दीव	01.04.2014	150.00		192.50		230.00		331.67		358.33		362.78		363.67		70.00		70.00		70.00		372.34		372.34		496.64		496.64		-		-			
33	दिल्ली (बीवाईपीएल/बीआर पीएल/एनडीपीएल)	17.07.2014	462.00		548.63		711.90		994.00		994.00		1081.11		1081.11		296.58		296.58		296.58		943.25		991.67		896.63		896.63		875.05		841.22			
34	दिल्ली (एनडीएमसी)	17.07.2014	362.25		433.13		579.60		850.50		850.50		1068.53		1068.53		-		-		-		893.53		893.53		918.49		918.49		896.41		911.65	33 केवी पर		
35	लक्षद्वीप	01.04.2014	122.50		293.13		357.25		516.67		583.33		594.44		596.67		-		-		-		472.22		472.22		625.37		625.37		-		-			
36	पुडुचेरी	01.04.2014	120.00		227.50		301.00		465.00		525.00		535.00		537.00		-		-		-		440.67		448.13		497.31		-		500.74		-			
37	टोंट पावर लि. (अहमदाबाद)	01.04.2013	437.00		497.38		534.18		604.17		616.67		704.17		704.14		330.00		330.00		330.00		542.67		619.67		514.14		514.14		-		-			
38	टोंट पावर लि. (सुरत)	01.04.2015	422.63		502.41		546.54		585.42		585.42		714.12		714.12		70.00		70.00		70.00		515.00		628.43		613.43		613.43		-		-			
39	सीईएससी लि. (कोलकाता)	01.04.2013	494.91		714.65		817.90		737.72		897.51		918.55		922.76		-		-		-		624.79		761.08		739.93		739.93		712.33		648.89			
40	डीपीएससी लि. (पश्चिम बंगाल)	01.04.2013	417.11		458.82		458.82		489.38		511.62		601.32		601.32		187.95	^	187.95	^	187.95	^	506.65		556.08		668.80		668.80		453.75	^	708.11			
41	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि. (पश्चिम बंगाल)	01.04.2013	419.86		523.93		546.24		541.14		591.38		595.65		596.51		180.29	^	180.29	^	180.29	^	518.19		572.65		658.00		658.00		640.75		647.78	25 केवी पर		
																																		642.78	132 केवी पर	
42	डीवीसी (क) बिहार क्षेत्र	01.09.2014	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		546.03		-	33 केवी पर		
	(ख) पश्चिम बंगाल क्षेत्र		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		592.40		481.18	132 केवी पर		
43	मुंबई (बी.ई.एस.टी.)	01.04.2014	429.00		752.44		1071.16		1165.31		1342.37		1535.98		1535.98		-		-		-		1099.19		1258.13		1123.61		1123.61		-		-			
44	मुंबई (रिलायंस एनर्जी)	01.04.2014	511.80		654.69		852.32		1026.08		948.08		1344.10		1344.10		223.00		223.00		223.00		890.28		1001.98		895.80		895.80		-		948.11	100/33/22/11/6.6 केवी पर		
45	मुंबई (टाटा)	01.04.2014	305.95		491.39		727.66		935.99		857.99		1036.39		1036.39		-		-		-		751.85		989.99		851.11		851.11		-		814.11	33/22 केवी		
बी : निरंतर आपूर्ति क्षेत्र सी : अनियमित आपूर्ति क्षेत्र डी : बैंगलोर, देवानगिरी और अन्य शहर म्युनिसिपल कारपो. एफ : ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र यू : शहरी आर : ग्रामीण ओ : अन्य क्षेत्र																																				
^ पश्चिम बंगाल में क्रमशः डीपीएससी लि. और दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि. के लिए 23:00 बजे से 06:00 बजे से टीओडी प्रशुल्क																																				
उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए भिन्न पैरामीटरों में अधिसूचित प्रशुल्क। एक महीने में प्राप्त भार और विद्युत खपत स्तर के आधार पर उपर्युक्त तुलना।																																				
30.03.2015 तक एफएसएंडए विभाग, सीईए की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत प्रशुल्क के आधार पर विवरण तैयार किया गया।																																				

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1680

जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है ।

गांवों में बिजली की आपूर्ति

1680. श्री पी. एल. पुनिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राज्य-वार कितने गांवों तक बिजली पहुंच गई है;
- (ख) राज्य-वार कितने गांवों तक अभी तक बिजली नहीं पहुंची है;
- (ग) क्या जिन गांवों में बिजली पहुंच गई है, वहां के प्रत्येक परिवार को बिजली की सुविधा प्राप्त है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) गांवों में प्रतिदिन औसतन कितने घंटे बिजली प्रदान की जाती है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (च) गांवों में प्रति परिवार विद्युत की औसतन कितनी खपत है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (छ) गत दो वर्षों के दौरान गांवों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव थे। इन गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों में से वर्ष 2015-16 के दौरान, 7108 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है।

(ग) और (घ) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, सभी पात्र गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं और राज्य/डिस्कॉम द्वारा प्रस्तावित किए गए अनुसार सभी के लिए अवसंरचना सृजित की जाती है।

(ङ) : राज्य/डिस्कॉम द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

(च) : राज्य/डिस्कॉम द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014-15 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति घर प्रति दिन खपत अनुबंध-III में दी गई है।

(छ) : निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को सभी के लिए 24x7 विद्युत के लिए रोडमैप के अंतिम रूप देने को सुकर बनाने हेतु सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) के साथ एक संयुक्त पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, कृषि उपभोक्ता को पर्याप्त और गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण बहाली को सुकर बनाने के लिए और ग्रामीण घरों को वर्धित आपूर्ति करने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण करने का प्रावधान है।

राज्य सभा में दिनांक 09.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1680 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य-वार गैर-विद्युतीकृत गांव

क्रम सं.	राज्य	01.04.2015 की स्थिति के अनुसार गैर-विद्युतीकृत गांव	2015-16 के दौरान विद्युतीकृत गांव
1	अरुणाचल प्रदेश	1578	174
2	असम	2892	942
3	बिहार	2747	1754
4	छत्तीसगढ़	1080	405
5	हिमाचल प्रदेश	35	1
6	जम्मू व कश्मीर	134	27
7	झारखंड	2525	750
8	कर्नाटक	39	0
9	मध्य प्रदेश	472	214
10	मणिपुर	276	75
11	मेघालय	912	1
12	मिजोरम	58	16
13	नागालैंड	82	0
14	ओडिशा	3474	1264
15	राजस्थान	495	163
16	त्रिपुरा	26	9
17	उत्तर प्रदेश	1529	1305
18	उत्तराखंड	76	0
19	पश्चिम बंगाल	22	8
	कुल	18452	7108

राज्य सभा में दिनांक 09.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1680 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

माह (फरवरी, 2016) के लिए ग्रामीण विद्युत आपूर्ति स्थिति

क्रम सं.	राज्य का नाम	घंटों में
1	आंध्र प्रदेश	24
2	अरुणाचल प्रदेश	11
3	असम	16.5
4	बिहार	18.67
5	छत्तीसगढ़	24
6	गुजरात	24
7	हरियाणा	12.46
8	हिमाचल प्रदेश	24
9	जम्मू व कश्मीर	14.25
10	झारखंड	16.40
11	कर्नाटक	19.33
12	केरल	23
13	मध्य प्रदेश	23.49
14	महाराष्ट्र	23.32
15	मणिपुर	15.5
16	मेघालय	22.5
17	मिजोरम	9
18	नागालैंड	15
19	ओडिशा	21.5
20	पंजाब	24
21	राजस्थान	22
22	सिक्किम	18.25
23	तमिलनाडु	24
24	तेलंगाना	24
25	त्रिपुरा	24
26	उत्तर प्रदेश	11.71
27	उत्तराखंड	23.45
28	पश्चिम बंगाल	24

राज्य सभा में दिनांक 09.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1680 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2014-15 के लिए प्रति ग्रामीण घर प्रतिदिन अनुमानित खपत		
क्रम सं.	राज्य	2014-15 के लिए प्रति घर प्रति दिन अनुमानित यूनिट
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2.35
2	अरुणाचल प्रदेश	0.7
3	असम	1.71
4	बिहार	1.42
5	चंडीगढ़	10.5
6	छत्तीसगढ़	1.13
7	दादर व नागर हवेली	4.66
8	दमन व दीव	5.04
9	दिल्ली	9.05
10	गोवा	4.69
11	गुजरात	1.39
12	हरियाणा	2.24
13	हिमाचल प्रदेश	1.51
14	जम्मू व कश्मीर	2.6
15	झारखंड	1.64
16	कर्नाटक	1.19
17	केरल	3.32
18	मध्य प्रदेश	1.47
19	महाराष्ट्र	1.59
20	मणिपुर	1.14
21	मेघालय	1.48
22	मिजोरम	1.52
23	नागालैंड	1.75
24	ओडिशा	2.19
25	पुडुचेरी	5.79
26	पंजाब	4.03
27	राजस्थान	2.00
28	तमिलनाडु	1.86
29	तेलंगाना	1.47
30	त्रिपुरा	0.67
31	उत्तर प्रदेश	2.69
32	उत्तराखंड	2.26
33	पश्चिम बंगाल	1.23

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1681

जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है ।

लंबित विद्युत परियोजनाएं

1681. श्री टी. के. रंगराजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण होने के लिए लंबित विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) तमिलनाडु में 10 वर्षों से अधिक समय से कितनी विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 80,865.5 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली कुल 83 ताप विद्युत परियोजनाएं तथा 13,662 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली कुल 47 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली) निर्माणाधीन/पूरा होने के लिए लंबित थीं। इन परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-I एवं II** पर दिए गए हैं।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में कोई भी ताप विद्युत परियोजना

(एं) अथवा जल विद्युत परियोजना 10 वर्ष से ज्यादा समय से लंबित नहीं है।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 09.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1681 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
केंद्रीय क्षेत्र				
1	असम	बोंगाईगांव टीपीपी/एनटीपीसी	यू-2	250
			यू-3	250
2	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I/एनटीपीसी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
3	बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी (कांटी) एक्सपें./एनटीपीसी और बीएसईबी का जेवी	यू-4	195
4	बिहार	नबीनगर टीपीपी/एनटीपीसी और रेलवे का जेवी	यू-1	250
			यू-2	250
			यू-3	250
			यू-4	250
5	बिहार	न्यू नबीनगर टीपीपी/एनटीपीसी और बीएसपीजीसीएल का जेवी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
6	छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	800
			यू-2	800
7	झारखंड	बोकारो "ए" टीपीएस एक्सपें./डीवीसी	यू-1	500
8	झारखंड	नॉर्थ कर्णपुरा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
9	कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी फेज-I/एनटीपीसी	यू-1	800
			यू-2	800
			यू-3	800
10	महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी फेज-II/एनटीपीसी	यू-3	660
			यू-4	660
11	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	660
			यू-2	660
12	मध्य प्रदेश	गाडरवारा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	800
			यू-2	800
13	मध्य प्रदेश	खरगोन टीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	660
			यू-2	660
14	तमिलनाडु	नैवेली न्यू टीपीपी/एनएलसी	यू-1	500
			यू-2	500
15	ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	800
			यू-2	800

16	त्रिपुरा	अगरतला/नीपको	एसटी-1	25.5
17	उत्तर प्रदेश	ऊंचाहार-IV/एनटीपीसी	यू-6	500
18	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी/एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी	यू-1	660
			यू-2	660
19	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	660
			यू-2	660
20	पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-II/डीवीसी	यू-1	660
			यू-2	660
कुल केंद्रीय क्षेत्र				24780.5
राज्य क्षेत्र				
21	आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-IV/एपजेंको	यू-6	600
22	असम	नामरूप सीसीजीटी/एपीजीसीएल	जीटी	70
			एसटी	30
23	बिहार	बरौनी टीपीएस एक्सटें./बीएसईबी	यू-8	250
			यू-9	250
24	छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी/सीएसपीजीसीएल	यू-2	500
25	गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी/बीईसीएल	यू-1	250
			यू-2	250
26	गुजरात	वांकाबोरी टीपीएस एक्सटें./जीएसईसीएल	यू-8	800
27	कर्नाटक	बेल्लारी टीपीपीएस/केपीसीएल	यू-3	700
28	कर्नाटक	येरमारस टीपीपी/केपीसीएल	यू-1	800
			यू-2	800
29	महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस/एमएसपीजीसीएल	यू-9	500
30	महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपें./एमएसपीजीसीएल	यू-9	660
			यू-10	660
31	महाराष्ट्र	पार्ली टीपीपी एक्सपें./एमएसपीजीसीएल	यू-8	250
32	मध्य प्रदेश	श्रीसिंगाजी टीपीपी-II/एमपी जेंको	यू-3	660
			यू-4	660
33	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी/ओपीजीसीएल	यू-3	660
			यू-4	660
34	राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें./आरआरवीयूएनएल	यू-5	660
			यू-6	660
35	राजस्थान	सूरतगढ़ टीपीएस/आरआरवीयूएनएल	यू-7	660
			यू-8	660
36	तेलंगाना	कोथागुडम टीपीएस स्टे.-VII/टीएसजेंको	यू-1	800
37	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी /टीएसजेंको	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
38	तेलंगाना	सिंगारैनी टीपीपी/एससीसीएल	यू-1	600
			यू-2	600
39	तमिलनाडु	एन्नौर एक्सपें. एससीटीपीपी (लैंको)/टेनजेडको	यू-1	660
40	तमिलनाडु	एन्नौर एससीटीपीपी/टेनजेडको	यू-1	660
			यू-2	660
41	उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी टीपीपी/यूपीआरवीयूएनएल	यू-7	500

42	पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीपी-II/डब्ल्यूबीपीडीसीएल	यू-4	500
			कुल राज्य क्षेत्र	18710
निजी क्षेत्र				
43	आंध्र प्रदेश	भवानापडु टीपीपी फेज-I/ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि.	यू-1	660
			यू-2	660
44	आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी/एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि.	यू-1	660
			यू-2	660
45	आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II/मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि.	यू-3	350
			यू-4	350
46	आंध्र प्रदेश	विजाग टीपीपी/हिंदुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लि.	यू-2	520
47	बिहार	जस इंफ्रा. टीपीएस/जेआईसीपीएल	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
			यू-4	660
48	छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीपी (नैयारा)/केएसके महानदी पावर कंपनी लि.	यू-3	600
			यू-4	600
			यू-5	600
			यू-6	600
49	छत्तीसगढ़	बाल्को टीपीपी/भारत एल्युमीनियम कं. लि.	यू-2	300
50	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी/एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	यू-1	300
			यू-2	300
			यू-3	300
			यू-4	300
51	छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II/लैंप प्रा. लि.	यू-3	660
			यू-4	660
52	छत्तीसगढ़	राइखेड़ा टीपीपी/जीएमआर	यू-2	685
53	छत्तीसगढ़	सिंघितराई टीपीपी/एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	यू-1	600
			यू-2	600
54	छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी/टीआरएन एनर्जी प्रा. लि.	यू-1	300
			यू-2	300
55	छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी/आरकेएम पावरजेन. प्रा. लि.	यू-2	360
			यू-3	360
			यू-4	360
56	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी/वंदना विद्युत	यू-2	135
57	छत्तीसगढ़	देवेरी (बीसा) टीपीपी/बीसा पावर लि.	यू-1	600
58	झारखंड	मैत्रिश्री उषा टीपीपी फेज-I/कारपोरेट पावर लि.	यू-1	270
			यू-2	270
59	झारखंड	मैत्रिश्री उषा टीपीपी फेज-II/कारपोरेट पावर लि.	यू-3	270
			यू-4	270
60	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-I/एस्सार पावर लि.	यू-1	600
			यू-2	600
61	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-II/एस्सार पावर लि.	यू-3	600
62	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया पावर प्रा. लि.	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270

63	महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी/एलवीपी प्रा. लि.	यू-1	660
			यू-2	660
64	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I/रत्न इंडिया नासिक पावर प्रा. लि.	यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
65	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया नासिक पावर प्रा. लि.	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
66	महाराष्ट्र	बिजोरा घनमुख टीपीपी/जिनभुविश पावर जेनरेशन प्रा. लि.	यू-1	300
			यू-2	300
67	मध्य प्रदेश	अनूपपुर टीपीपी फेज-I/एमबी पावर	यू-2	600
68	मध्य प्रदेश	महान टीपीपी/एस्सार पावर एमपी लि.	यू-2	600
69	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी/डी.बी. पावर (एमपी) लि.	यू-1	660
70	मध्य प्रदेश	सिओनी टीपीपी फेज-I/झुआ पावर लि.	यू-1	600
71	मध्य प्रदेश	निवारी टीपीपी/बीएलए पावर लि.	यू-2	45
72	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)/इंड बराथ	यू-1	350
			यू-2	350
73	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी/केवीके नीलांचल	यू-1	350
			यू-2	350
			यू-3	350
74	ओडिशा	लैंको बाबंध टीपीपी/एलबीपी लि.	यू-1	660
			यू-2	660
75	ओडिशा	मलीब्राहमणी टीपीपी/एमपीसीएल	यू-1	525
			यू-2	525
76	पंजाब	गोइंदवाल साहिब टीपीपी/जीवीके पावर	यू-1	270
			यू-2	270
77	पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी/स्टरलाईट	यू-3	660
78	तमिलनाडु	मेलामरुथुर टीपीपी/कोस्टल एनर्जन	यू-2	600
79	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड-बराथ)/आईबीपीआईएल	यू-1	660
80	तमिलनाडु	आईटीपीसीएल टीपीपी	यू-2	600
81	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी/पीपीजैको	यू-2	660
			यू-3	660
82	उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी/ललितपुर जेनरेशन कंपनी लि.	यू-2	660
			यू-3	660
83	पश्चिम बंगाल	हल्दिया टीपीपी/हल्दिया एनर्जी लि.	यू-1	150
			यू-2	150
			यू-3	150
			कुल निजी क्षेत्र	37375
			सकल योग	80865.5

राज्य सभा में दिनांक 09.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1681 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश				
1	पोलावरम पीपीए	राज्य	12x80	960.00
2	नागार्जुन सागर टीआर (एपजैको)	राज्य	2x25	50.00
उप-जोड़: आंध्र प्रदेश				1010.00
अरुणाचल प्रदेश				
3	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00
4	पारे (नीपको)	केंद्रीय	2x55	110.00
5	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00
6	गोंगरी (दिरांग एनर्जी)	निजी	2x72	144.00
उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश				2854.00
हिमाचल प्रदेश				
7	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00
8	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00
9	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x37	111.00
10	सैंज (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x50	100.00
11	शोंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00
12	कशांग-I (एचपीपीसीएल)	राज्य	1x65	65.00
13	कशांग-II व III (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x65	130.00
14	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	3x60	180.00
15	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	2x50	100.00
16	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00
17	टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग)	निजी	100.00	100.00
18	चंजू-I (आईए एनर्जी)	निजी	3x12	36.00
उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश				2216.00
जम्मू व कश्मीर				
19	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x110	330.00
20	रत्ने (आरएचईपीपीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00
उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर				1180.00
केरल				
21	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00
22	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00
उप-जोड़: केरल				100.00

मध्य प्रदेश		-		
23	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00
			उप-जोड़: मध्य प्रदेश	400.00
महाराष्ट्र				
24	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	2x40	80.00
			उप-जोड़: महाराष्ट्र	80.00
मेघालय				
25	न्यू उमतरू (एमईपीजीसीएल)	राज्य	2x20	40.00
			उप-जोड़: मेघालय	40.00
मिजोरम				
26	तुरियल (नीपको)	केंद्रीय	2x30	60.00
			उप-जोड़: मिजोरम	60.00
पंजाब				
27	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल)	राज्य	3x33+3x33	206.00
			8.00	
			उप-जोड़: पंजाब	206.00
सिक्किम				
28	भास्मे (गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	3x17	51.00
29	दिक्चू (स्नेह काइनेटिक)	निजी	3x32	96.00
30	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	3x40	120.00
31	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00
32	रॉगनीचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00
33	ताशिडिंग (शीघा एनर्जी)	निजी	2x48.5	97.00
34	तीस्ता स्टे.-III (तीस्ता ऊर्जा लि.)	राज्य	6x200	1200.00
35	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	निजी	4x125	500.00
36	पनन (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00
			उप-जोड़: सिक्किम	2526.00
तेलंगाना				
37	लोअर जुराला (टीएसजैको)	राज्य	6x40	160.00
38	पुलीचिंताला (टीएसजैको)	राज्य	4x30	120.00
			उप-जोड़: तेलंगाना	280.00
उत्तराखंड				
39	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00
40	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00
41	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00
42	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00
43	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	2x60	120.00
44	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	2x38	76.00
45	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	3x33	99.00
			उप-जोड़: उत्तराखंड	2430.00
पश्चिम बंगाल				
46	तीस्ता लो डैम-IV (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x40	160.00
47	रम्मम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00
			उप-जोड़: पश्चिम बंगाल	280.00
			कुल:	13662.00

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1682

जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत कंपनियों की दबावग्रस्त आस्तियों की स्थिति

1682. श्री अविनाश पांडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत कंपनियों की दबावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण, मूल्यांकन और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार जिन कंपनियों की दबावग्रस्त परिसंपत्तियां अधिकतम सीमा से अधिक हैं, उन्हें भावी परियोजनाओं हेतु बोली लगाने के लिए अयोग्य ठहराने की योजना बना रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय दबावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों वाली परियोजनाओं सहित विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा करता है और उनकी स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के लिए मानक बोली दस्तावेजों में बोलीदाताओं के निवल मूल्य पात्रता मानदण्ड निहित हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1683
जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है ।

घरों में स्मार्ट मीटर लगाना

1683. श्री लाल सिंह वडोदिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने पर गम्भीरता से विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कदम उठाया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी हाँ। भारत सरकार (जीओआई) ने दिनांक 3 दिसंबर, 2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) की शुरुआत की जिसमें सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम (स्काडा) नगरों में स्मार्ट मीटर लगाने की परिकल्पना की गई है। मार्च, 2016 तक आईपीडीएस के अंतर्गत लगभग 1.10 लाख स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार ने 20 नवंबर, 2015 को विद्युत वितरण कंपनियों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय टर्न अराउंड के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम की भी शुरुआत की है जिसके अंतर्गत सभी भागीदार राज्य और यूटिलिटीयाँ 31 दिसंबर, 2017 तक 500 यूनिट प्रति माह से अधिक खपत वाले तथा 31 दिसंबर, 2019 तक 200 यूनिट प्रतिमाह से अधिक खपत वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरिंग करेंगे।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1684
जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है।

ताप-विद्युत संयंत्रों के कारण स्वच्छ जल के
नये संसाधनों में गिरावट

1684. श्री ए. विलियम रबि बर्नार्ड:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रीन पीस इंटरनेशनल नामक पर्यावरणीय गुप द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार क्या भारत के तेज़ी से घटते जा रहे स्वच्छ जल के नये संसाधनों पर 52000 से भी अधिक मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले कोयला चालित ताप विद्युत संयंत्रों के कारण और अधिक असर पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित एक चौथाई ताप विद्युत संयंत्र उन्हीं क्षेत्रों में हैं, जो जल के अत्यधिक उपयोग से पहले से ही त्रस्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : इस मंत्रालय में ग्रीनपीस इंटरनेशनल की रिपोर्ट की जांच नहीं की गई है।

सरकार ने देश में जल की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों का पृथक रूप से मूल्यांकन नहीं किया है। आरंभिक चरण में भूमि, जल, ईंधन आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जाने पर विचार किया जाता है। ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए जल का आवंटन संबंधित राज्य, जहाँ परियोजना स्थित है, की सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) द्वारा किया जाता है और राज्य का डब्ल्यूआरडी जल के आवंटन से पूर्व सभी कारकों का मूल्यांकन करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1685

जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है ।

जल विद्युत संभाव्यता

1685. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय ने देश की जल विद्युत उत्पादन की संभाव्यता का कोई आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो जल विद्युत परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) पिछली तथा वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं;
- (घ) क्या लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (च) क्या नई जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना किए जाने तथा वर्तमान जल विद्युत परियोजनाओं में सुधार किए जाने/इनका नवीकरण किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और
- (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, देश की चिन्हित जल विद्युत क्षमता 1,48,701 मेगावाट (25 मेगावाट से अधिक 1,45,320 मेगावाट) के रूप में आकलित की गई है। परियोजना-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) : विगत वर्ष के दौरान तथा चालू पंचवर्षीय योजना में जल विद्युत स्टेशनों (25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले) के संबंध में विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

इन वर्षों के दौरान उत्पादन में कमी मुख्य रूप से आवाह क्षेत्रों में कम वर्षा होने के कारण हुई है।

(च) और (छ) : वर्तमान में देश में कुल 13,502 मेगावाट की 47 नई जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। 12वीं योजना के दौरान, अपरेटिंग, जीवन विस्तार और पुनःस्थापन के माध्यम से लगभग 3042 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली कुल 22 जल विद्युत नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों (2 केंद्रीय क्षेत्र में तथा 20 राज्य क्षेत्र में) के लगभग 1353 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किए जाने की आशा है।

राज्य सभा में दिनांक 09.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1685 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में जल विद्युत स्कीमें
(पुनःआकलन अध्ययन 1978-87 में चिन्हित किए अनुसार)

आरओआर: रन ऑफ रिवर, आर: आरओआर पॉडिज के साथ, एस: स्टोरेज

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य	नदी	प्रकार	संभावित संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
	उत्तरी क्षेत्र				
1	मनगाया	जम्मू एवं कश्मीर	सियावा	आर	18
2	चिचनौता	जम्मू एवं कश्मीर	सियावा	आर	22
3	बेरियान	जम्मू एवं कश्मीर	उझ	आर	19
4	फलाल	जम्मू एवं कश्मीर	उझ	आर	14
5	भूरा	जम्मू एवं कश्मीर	उझ	आर	22
6	शौस	जम्मू एवं कश्मीर	चिनाब	आर	505
7	बेरिनायम	जम्मू एवं कश्मीर	चिनाब	आर	435
8	शो	जम्मू एवं कश्मीर	चिनाब	आर	215
9	अरथल	जम्मू एवं कश्मीर	भुत नाल्लाह	आर	19
10	नौनुत	जम्मू एवं कश्मीर	चिनाब	आर	1120
11	किरू	जम्मू एवं कश्मीर	चिनाब	आर	295
12	क्वार	जम्मू एवं कश्मीर	चिनाब	आर	440
13	पाकलदुल	जम्मू एवं कश्मीर	मारसुदर	आर	765
14	बुरसार	जम्मू एवं कश्मीर	मारसुदर	एस	195
15	दुलहस्ती	जम्मू एवं कश्मीर	चिनाब	आर	1120
16	कुनाऊ	जम्मू एवं कश्मीर	कल नाई	आर	13
17	नागा	जम्मू एवं कश्मीर	कल नाई	आर	29
18	कीवा	जम्मू एवं कश्मीर	कल नाई	आर	37
19	तिपरी	जम्मू एवं कश्मीर	कल नाई	आर	36
20	दुनाडी	जम्मू एवं कश्मीर	कागुनी गढ़	आर	60
21	थात्री	जम्मू एवं कश्मीर	कल नाई	आर	22
22	रातले	जम्मू एवं कश्मीर	चिनाब	आर	515
23	शमनोट	जम्मू एवं कश्मीर	चिनाब	आर	200
24	बगलीहार	जम्मू एवं कश्मीर	चिनाब	आर	750
25	बिचलारी	जम्मू एवं कश्मीर	बिचलारी	आर	75
26	सावलकोट	जम्मू एवं कश्मीर	चिनाब	आर	1350
27	दामनी	जम्मू एवं कश्मीर	आंस	आर	6
28	कल्लार	जम्मू एवं कश्मीर	आंस	आर	14
29	सलाल	जम्मू एवं कश्मीर	चिनाब	आर	780
30	चेनानी	जम्मू एवं कश्मीर	तवी	आर	21
31	ब्रिंग	जम्मू एवं कश्मीर	ब्रिंग	आर	5
32	शीशराम नाग	जम्मू एवं कश्मीर	लिदर	आर	4
33	चंदनवाड़ी	जम्मू एवं कश्मीर	लिदर	आर	7
34	पहलगाम	जम्मू एवं कश्मीर	लिदर	आर	3
35	लिडरू	जम्मू एवं कश्मीर	लिदर	आर	12
36	विशाऊ	जम्मू एवं कश्मीर	विशाऊ	आर	7
37	रेमबीयारा	जम्मू एवं कश्मीर	रेमबीयारा	आर	5

38	सोनमार्ग	जम्मू एवं कश्मीर	सिंद	एस	155
39	अपर सिंध-I	जम्मू एवं कश्मीर	सिंद	आर	65
40	अपर सिंध-II	जम्मू एवं कश्मीर	सिंद	आर	140
41	गंगबाल	जम्मू एवं कश्मीर	कनकानाग	एस	55
42	गांदरबाल	जम्मू एवं कश्मीर	सिंद	आर	75
43	दवार	जम्मू एवं कश्मीर	किशन गंगा	आर	16
44	कारलपुर	जम्मू एवं कश्मीर	किशन गंगा	एस	280
45	वनगाम	जम्मू एवं कश्मीर	बोनार	आर	60
46	लोवर झेलम	जम्मू एवं कश्मीर	झेलम	आर	170
47	उरी	जम्मू एवं कश्मीर	झेलम	आर	600
48	मोहारा	जम्मू एवं कश्मीर	झेलम	आर	9
49	चकोठी	जम्मू एवं कश्मीर	झेलम	आर	285
50	चिनारी	जम्मू एवं कश्मीर	झेलम	आर	475
51	हटीयान	जम्मू एवं कश्मीर	झेलम	आर	215
52	मंडी	जम्मू एवं कश्मीर	मंडी	आर	14
53	माहे	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	13
54	केसर	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	42
55	कियारी	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	28
56	गियाक	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	20
57	कारू	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	12
58	स्टकना	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	14
59	लेह	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	29
60	रामचुंग	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	15
61	चिमी चैनमो	जम्मू एवं कश्मीर	जसकर	आर	15
62	चॉर्टन	जम्मू एवं कश्मीर	जसकर	आर	16
63	रिनाम	जम्मू एवं कश्मीर	जसकर	आर	12
64	पारफिला	जम्मू एवं कश्मीर	जसकर	एस	45
65	पाइदर	जम्मू एवं कश्मीर	जसकर	आर	46
66	तिलारचू	जम्मू एवं कश्मीर	जसकर	आर	39
67	लियानगौरा	जम्मू एवं कश्मीर	जसकर	आर	25
68	निमो	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	एस	180
69	नुरला	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	65
70	खलसी	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	170
71	तकमाचिंग	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	75
72	दमकर	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	130
73	अचिंथांग	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	140
74	कान्युचे	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	105
75	बतालीक	जम्मू एवं कश्मीर	इंड्स	आर	235
76	परखाचिक	जम्मू एवं कश्मीर	सुरू	आर	110
77	थांग	जम्मू एवं कश्मीर	शंगल नाल्लाह	आर	7
78	योकनी	जम्मू एवं कश्मीर	सुरू	आर	8
79	फूलनगमा	जम्मू एवं कश्मीर	फूलनगमा नाल्लाह	आर	16
80	चेचेसना	जम्मू एवं कश्मीर	सुरू	आर	47
81	थामबस	जम्मू एवं कश्मीर	सुरू	आर	29
82	वखी रोंग	जम्मू एवं कश्मीर	वखा रोंग	आर	4
83	गोमा	जम्मू एवं कश्मीर	वखा रोंग	आर	5
84	कारगिल	जम्मू एवं कश्मीर	वखा रोंग	आर	13
85	सुरू	जम्मू एवं कश्मीर	सुरू	आर	18
86	द्रास	जम्मू एवं कश्मीर	द्रास	आर	18
87	दानदल	जम्मू एवं कश्मीर	द्रास	आर	26
88	खाहरू	जम्मू एवं कश्मीर	द्रास	आर	30
89	ताहनुस	जम्मू एवं कश्मीर	शिनगो	आर	120
90	ककिट	जम्मू एवं कश्मीर	शिनगो	आर	190

91	गुंदरमान	जम्मू एवं कश्मीर	सुरू	आर	120
92	कुजांग	जम्मू एवं कश्मीर	श्योक	आर	11
93	चांग चनमो-I	जम्मू एवं कश्मीर	श्योक	आर	6
94	चांग चनमो -II	जम्मू एवं कश्मीर	श्योक	आर	15
95	श्योक	जम्मू एवं कश्मीर	श्योक	आर	7
96	शाम्मा	जम्मू एवं कश्मीर	श्योक	आर	20
97	थांगकार	जम्मू एवं कश्मीर	श्योक	आर	23
98	टोसोगागसा	जम्मू एवं कश्मीर	श्योक	आर	18
99	चलुंका	जम्मू एवं कश्मीर	श्योक	आर	45
कुल (जम्मू एवं कश्मीर)					14146
1	रोंगटोंग	हिमाचल प्रदेश	स्पिती	आर	2
2	समन	हिमाचल प्रदेश	स्पिती	आर	12
3	क्यूरिक	हिमाचल प्रदेश	स्पिती	आर	41
4	थिबडा	हिमाचल प्रदेश	स्पिती	आर	55
5	खाब-I	हिमाचल प्रदेश	सतलज	एस	1640
6	रोपा	हिमाचल प्रदेश	रोपा	एस	31
7	ज्यामथिंग	हिमाचल प्रदेश	ज्यामथिंग	आर	23
8	खाब-II	हिमाचल प्रदेश	सतलज	आर	425
9	तिडोंग-II	हिमाचल प्रदेश	तिडोंग	आर	90
10	तिडोंग -I	हिमाचल प्रदेश	तिडोंग	एस	90
11	तैती-II	हिमाचल प्रदेश	तैती	आर	22
12	तैती-I	हिमाचल प्रदेश	तैती	एस	50
13	जंगी थोपन	हिमाचल प्रदेश	सतलज	आर	410
14	थोपन पोवारी	हिमाचल प्रदेश	सतलज	आर	650
15	बापसा-I	हिमाचल प्रदेश	बापसा	एस	335
16	बापसा-II	हिमाचल प्रदेश	बापसा	आर	370
17	शोंगटोंग करचम	हिमाचल प्रदेश	सतलज	आर	780
18	करचम वांगटू	हिमाचल प्रदेश	सतलज	आर	935
19	होमटी	हिमाचल प्रदेश	भाबा	आर	60
20	भाबा (संजय)	हिमाचल प्रदेश	भाबा	आर	195
21	नाथपा झाकरी	हिमाचल प्रदेश	सतलज	आर	1990
22	नोगली-I	हिमाचल प्रदेश	नोगली	आर	2
23	नोगली -II	हिमाचल प्रदेश	नोगली	आर	4
24	रामपुर नानजाह	हिमाचल प्रदेश	सतलज	आर	420
25	लुहरी	हिमाचल प्रदेश	सतलज	आर	425
26	चाबा (नौटी)	हिमाचल प्रदेश	नौटी	आर	3
27	सुनी चाबा डैम	हिमाचल प्रदेश	सतलज	एस	225
28	कोल डैम	हिमाचल प्रदेश	सतलज	एस	760
29	भाकरा नांगल	हिमाचल प्रदेश	सतलज	एस	1395
30	घोसाल	हिमाचल प्रदेश	ब्यास	आर	21
31	मनाली	हिमाचल प्रदेश	मनालसू	आर	37
32	एल्लियान नाल्लाह	हिमाचल प्रदेश	एल्लियान	आर	46
33	दुहानगन	हिमाचल प्रदेश	दुहानगन	आर	29
34	गंधारनी	हिमाचल प्रदेश	ब्यास	आर	49
35	पुकनोज	हिमाचल प्रदेश	पुकनोज	आर	1
36	घरोपा	हिमाचल प्रदेश	ब्यास	आर	85
37	फोजल	हिमाचल प्रदेश	पुकनोज	आर	13
38	कुलु	हिमाचल प्रदेश	ब्यास	आर	90
39	सरबारी	हिमाचल प्रदेश	सरबारी	आर	16
40	मलाना	हिमाचल प्रदेश	मलाना	आर	60
41	पारबती -II	हिमाचल प्रदेश	पारबती	एस	400
42	सियांज-I	हिमाचल प्रदेश	सियांज	आर	55
43	सियांज करताह-II	हिमाचल प्रदेश	सियांज	आर	45

44	जीवा/सियांज-III	हिमाचल प्रदेश	जीवा/सियांग	आर	21
45	नकथान (पारबती -I)	हिमाचल प्रदेश	पारबती	आर	420
46	सियांज-IV	हिमाचल प्रदेश	सियांज	आर	27
47	तिर्थन-I	हिमाचल प्रदेश	तिर्थन	आर	32
48	तिर्थन -II	हिमाचल प्रदेश	तिर्थन	आर	25
49	तिर्थन -III	हिमाचल प्रदेश	तिर्थन	आर	26
50	सियांज (पारबती-III)	हिमाचल प्रदेश	सियांज	आर	215
51	लारजी	हिमाचल प्रदेश	ब्यास	आर	190
52	पंडोह डायवर्जन	हिमाचल प्रदेश	ब्यास	आर	555
53	उहल	हिमाचल प्रदेश	उहल	आर	70
54	जोगिंदर नगर में उहल	हिमाचल प्रदेश	उहल	आर	90
55	बस्सी	हिमाचल प्रदेश	राना खाड	आर	75
56	राना खाड	हिमाचल प्रदेश	राना खाड	आर	29
57	बिनवा	हिमाचल प्रदेश	बिनवा खाड	आर	7
58	नियोगल	हिमाचल प्रदेश	नियोगल	आर	7
59	बानेर	हिमाचल प्रदेश	बानेर खाड	आर	5
60	गज	हिमाचल प्रदेश	गज खाड	आर	34
61	पोंग डैम	हिमाचल प्रदेश	ब्यास	एस	390
62	चुलन	हिमाचल प्रदेश	रावी	आर	55
63	होली	हिमाचल प्रदेश	होली	आर	13
64	माछेत्री	हिमाचल प्रदेश	रावी	आर	60
65	कुयारसी	हिमाचल प्रदेश	कुयारसी	आर	4
66	बुढहिल	हिमाचल प्रदेश	बुढहिल	आर	38
67	तंडाह	हिमाचल प्रदेश	तंडाह	आर	34
68	हिबरा	हिमाचल प्रदेश	रावी	एस	470
69	ग्वाल	हिमाचल प्रदेश	रावी	आर	395
70	बियरा सिउल	हिमाचल प्रदेश	सियाँल	आर	225
71	चमेरा (शेरपुर)	हिमाचल प्रदेश	रावी	एस	405
72	सीवा	हिमाचल प्रदेश	सीवा	आर	70
73	बरोती	हिमाचल प्रदेश	सियाँल	एस	40
74	छोटा दारा	हिमाचल प्रदेश	चंद्रा	आर	50
75	छतरू	हिमाचल प्रदेश	चंद्रा	आर	140
76	खोकसार	हिमाचल प्रदेश	चंद्रा	आर	80
77	रायलिंग	हिमाचल प्रदेश	चंद्रा	एस	155
78	गोंदाला	हिमाचल प्रदेश	चंद्रा	आर	90
79	ज्यास्पा	हिमाचल प्रदेश	भागा	एस	395
80	झालमा	हिमाचल प्रदेश	चिनाब	आर	275
81	बारदंग	हिमाचल प्रदेश	चिनाब	आर	145
82	उदयपुर	हिमाचल प्रदेश	मियार नाल्लाह	आर	36
83	सेली	हिमाचल प्रदेश	चनाब	आर	150
84	रायोली	हिमाचल प्रदेश	चनाब	आर	715
85	सच खास	हिमाचल प्रदेश	सारचू	आर	70
86	गिरी बाता	हिमाचल प्रदेश	गिरी	आर	24
87	गजपानी गढ़ डोगरी	हिमाचल प्रदेश	पाबर	आर	7
88	चिरगांव जबोरा	हिमाचल प्रदेश	पाबर	आर	16
89	जेबेरा मेजगांव	हिमाचल प्रदेश	पाबर	आर	10
90	लासा डोगरी पांगला	हिमाचल प्रदेश	पाबर	आर	22
91	पांगुला सनाईल	हिमाचल प्रदेश	पाबर	आर	26
	कुल (हिमाचल प्रदेश)				18820
1	मुकेरियान कनाल	पंजाब	ब्यास	आर	207
2	अनादपुर साहिब, फेज-I एवं II	पंजाब	सतलज	आर	134
3	थेईन	पंजाब	रावी	एस	325
4	शाहपुर	पंजाब	रावी	आर	215

5	यूबीडीसी	पंजाब	रावी	आर	90
	कुल (पंजाब)				971
1	वेस्टर्न यमुना कनाल	हरियाणा	यमुना	आर	64
	कुल (हरियाणा)				64
1	गांधी सागर	राजस्थान	चंबल	एस	115
2	राना प्रताप सागर	राजस्थान	चंबल	एस	172
3	जवाहर सागर	राजस्थान	चंबल	आर	99
4	राइट बैंक मैन कनाल	राजस्थान	चंबल	आर	6
5	घोरवाड़ा	राजस्थान	अनास	एस	4
6	माही बजाज सागर चरण-II	राजस्थान	माही	आर	60
7	माही बजाज सागर चरण -I	राजस्थान	माही	एस	37
8	जखाम	राजस्थान	जखाम	एस	3
	कुल (राजस्थान)				496
1	नाकोट पटलासु	उत्तराखंड	पाबर	आर	43
2	कोटला डोबारा	उत्तराखंड	रूपिन	आर	8
3	सेवागांव पिघा	उत्तराखंड	रूपिन	आर	15
4	पिशा नैतवार	उत्तराखंड	रूपिन	आर	30
5	राला सुनकुंडी	उत्तराखंड	सुपिन	आर	17
6	सुनकुंडी साकरी	उत्तराखंड	सुपिन	आर	15
7	ओसला दातमीर	उत्तराखंड	टोन्स	आर	18
8	तलुका सॉल	उत्तराखंड	टोन्स	आर	39
9	संक्री कुनारे	उत्तराखंड	टन	आर	33
10	नटवर मोरी	उत्तराखंड	टन	आर	70
11	उग्मीर	उत्तराखंड	टन	आर	28
12	टुईनी	उत्तराखंड	टन	आर	128
13	किशाउ डैम	उत्तराखंड	टन	एस	350
14	किन्नो	उत्तराखंड	टन	आर	245
15	खोद्री	उत्तराखंड	टन	आर	130
16	कुठनौर गंगानी	उत्तराखंड	यमुना	आर	15
17	बारकोट बिल्ला	उत्तराखंड	यमुना	आर	25
18	कुआ फोर्ड	उत्तराखंड	यमुना	आर	42
19	लखवार व्यासी -I	उत्तराखंड	यमुना	एस	115
20	लखवार व्यासी -II	उत्तराखंड	यमुना	आर	80
21	धकरानी	उत्तराखंड	यमुना	आर	60
22	धालीपुर	उत्तराखंड	यमुना	आर	100
23	कुलहल	उत्तराखंड	यमुना	आर	65
24	नीलांग	उत्तराखंड	जध गंगा	आर	190
25	करमोली	उत्तराखंड	जध गंगा	आर	190
26	जध गंगा	उत्तराखंड	जध गंगा	आर	110
27	गंगोत्री	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	70
28	भैरव घाटी	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	60
29	हर्सिल डैम्	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	350
30	लेहारी नाग थरंग	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	360
31	पाला भेला टिपरी	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	165
32	भेला टिपरी	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	100
33	मनेरी भाली I	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	165
34	मनेरी भाली II	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	235
35	दिलोंग सुमन गांव	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	26
36	धरगांव झदरवाली	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	29
37	जमोल्ना घंस्याली	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	44
38	टिहरी डैम चरण -I	उत्तराखंड	भागीरथी	एस	740
39	कोटेश्वर	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	215
40	कोटलीभेल	उत्तराखंड	भागीरथी	एस	1875

41	ऋषिकेश हरिद्वार	उत्तराखंड	भागीरथी	आर	360
42	नायर डैम	उत्तराखंड	नायर	एस	34
43	बद्री नाथ	उत्तराखंड	अलकनंदा	आर	260
44	बेनाकुली	उत्तराखंड	अलकनंदा	आर	40
45	विष्णु प्रयाग	उत्तराखंड	अलकनंदा	आर	430
46	खेल कुरन नेती	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	49
47	नीति घन्साली	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	32
48	बंपा कुरकुटी	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	60
49	घिर्धी गंगा	उत्तराखंड	घिर्धी गंगा	आर	34
50	मलारी झेलम	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	90
51	झेलम तमक	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	150
52	तमक लता	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	200
53	देवड़ी	उत्तराखंड	ऋषि गंगा	आर	65
54	ऋषि गंगा I	उत्तराखंड	ऋषि गंगा	आर	115
55	ऋषि गंगा II	उत्तराखंड	ऋषि गंगा	आर	65
56	लता तपोवन	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	320
57	तपोवन चुनर	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	485
58	विष्णुगढ़ पीपलकोटी	उत्तराखंड	अलकनंदा	आर	480
59	झांजी पगना मल्ला	उत्तराखंड	बिराही गंगा	आर	16
60	गोहाना ताल	उत्तराखंड	बिराही गंगा	एस	95
61	बोवला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	अलकनंदा	आर	170
62	नंद प्रयाग लंगासू	उत्तराखंड	अलकनंदा	आर	180
63	खटीमा	उत्तराखंड	सारदा	आर	41
64	भदांग टिख	उत्तराखंड	पिंडर	आर	9
65	टिख गुरुफा	उत्तराखंड	पिंडर	आर	26
66	मालखेत डैम	उत्तराखंड	पिंडर	एस	37
67	देवसारी डैम	उत्तराखंड	पिंडर	एस	78
68	बनौली नल्गम	उत्तराखंड	पिंडर	आर	55
69	बोगली नौली	उत्तराखंड	पिंडर	आर	16
70	मंदाकिनी	उत्तराखंड	मंदाकिनी	आर	36
71	उत्त्यासू डैम	उत्तराखंड	अलकनंदा	एस	1140
72	श्रीनगर	उत्तराखंड	अलकनंदा	आर	375
73	रामगंगा डैम (कालागढ़)	उत्तराखंड	रामगंगा	एस	198
74	बोकांग बैलिंग	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	145
75	छुंगर चाल	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	145
76	सेला उर्थिंग	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	165
77	उर्थिंग सोबला	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	340
78	सोबला झिमीरीगांव	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	145
79	खेत तवाघाट	उत्तराखंड	धौली गंगा	आर	225
80	गरवा तवाघाट	उत्तराखंड	सारदा	आर	195
81	तवाघाट धारचूला	उत्तराखंड	सारदा	आर	310
82	कलीका दंतू	उत्तराखंड	सारदा	आर	140
83	मपांग बोगूडियार	उत्तराखंड	सारदा	आर	185
84	बोगूडियार सिरकारीभ्योल	उत्तराखंड	गौरी गंगा	आर	240
85	सिरकारीभ्योल रूपसिया बागर	उत्तराखंड	गौरी गंगा	आर	145
86	रूपसिया बागर खसियाबारा	उत्तराखंड	गौरी गंगा	आर	280
87	देवीबगर खारटोली	उत्तराखंड	गौरी गंगा	आर	40
88	खरटोली लुम्टी तल्ली	उत्तराखंड	गौरी गंगा	आर	105
89	गर्जिया डैम	उत्तराखंड	गौरी गंगा	एस	295
90	बागेश्वर रायखोली चाक	उत्तराखंड	सरजू	आर	6
91	रायखोली चाक कुठानी	उत्तराखंड	सरजू	आर	7
92	परौली जिंगल	उत्तराखंड	सरजू	आर	10
93	रामगंगा डैम	उत्तराखंड	रामगंगा	एस	75

94	पंचेश्वर- I	उत्तराखंड	सारदा	एस	1335
95	पंचेश्वर- II	उत्तराखंड	सारदा	एस	1065
96	टनकपुर	उत्तराखंड	सारदा	आर	210
97	गंगा कनल	उत्तराखंड	गंगा	आर	31
	कुल (उत्तराखंड)				18175
1	खारा	उत्तर प्रदेश	यमुना	आर	160
2	माताटीला	उत्तर प्रदेश	बेतवा	एस	31
3	धुकवां	उत्तर प्रदेश	बेतवा	आर	20
4	लहर	उत्तर प्रदेश	बेतवा	आर	20
5	ओर्छा	उत्तर प्रदेश	बेतवा	आर	39
6	जमनी	उत्तर प्रदेश	जमनी	एस	5
7	रिहंद	उत्तर प्रदेश	रिहंद	एस	300
8	ओबरा	उत्तर प्रदेश	रिहंद	आर	99
9	गंगा कनल	उत्तर प्रदेश	गंगा	आर	14
10	ईस्टर्न यमुना कनल	उत्तर प्रदेश	यमुना	आर	35
	कुल (उत्तर प्रदेश)				723
311	कुल (उत्तरी क्षेत्र)				53395
	पश्चिमी क्षेत्र				
1	गोपड एचई स्कीमें	मध्य प्रदेश	गोपड	एस	21
2	नगुर्ना	मध्य प्रदेश	गोपड	एस	11
3	चौरहाट	मध्य प्रदेश	सोन	एस	55
4	बनसागर	मध्य प्रदेश	सोन	एस	45
5	मझौल	मध्य प्रदेश	सोन	एस	17
6	सिम्दी	मध्य प्रदेश	सोन	एस	13
7	बीहड़	मध्य प्रदेश	टन	आर	30
8	टन एचई स्कीमें	मध्य प्रदेश	टन	आर	315
9	राजघाट	मध्य प्रदेश	बेतवा	एस	29
10	धुरवारा	मध्य प्रदेश	बेतवा	आर	28
11	रूसा	मध्य प्रदेश	नर्मदा	एस	9
12	धरमपुर	मध्य प्रदेश	नर्मदा	एस	7
13	देवरी	मध्य प्रदेश	नर्मदा	एस	13
14	बिसवाली (रोसरा)	मध्य प्रदेश	नर्मदा	एस	22
15	बुरहनेर	मध्य प्रदेश	बुरहनेर	एस	28
16	बसानिया	मध्य प्रदेश	नर्मदा	आर	60
17	बारगी	मध्य प्रदेश	नर्मदा	एस	115
18	सीतारेवा	मध्य प्रदेश	शक्कर	एस	10
19	जहांपुर	मध्य प्रदेश	नर्मदा	एस	75
20	नर्मदा सागर	मध्य प्रदेश	नर्मदा	एस	675
21	ओंकारेश्वर	मध्य प्रदेश	नर्मदा	आर	290
22	महेश्वर	मध्य प्रदेश	नर्मदा	आर	225
23	रातामाटी	मध्य प्रदेश	ताप्ती	एस	10
24	घुटीघा	मध्य प्रदेश	ताप्ती	एस	14
25	नवाथा	मध्य प्रदेश	ताप्ती	आर	13
26	सोन	मध्य प्रदेश	सोन	एस	5
27	देव-आमा	मध्य प्रदेश	देव-आमा	एस	13
28	अटरिया	मध्य प्रदेश	वैनगंगा	एस	15
29	टिकारी	मध्य प्रदेश	बवांथ्री	एस	10
30	कंहन-I	मध्य प्रदेश	कंहन	एस	24
31	कंहन-II	मध्य प्रदेश	कंहन	आर	14
32	कंहन-III	मध्य प्रदेश	कंहन	आर	23
33	कंहन-IV	मध्य प्रदेश	कंहन	एस	9
	कुल (मध्य प्रदेश)				2243
1	जोका	छत्तीसगढ़	कंहर	एस	28

2	मोटीगोडा	छत्तीसगढ़	महान	एस	18
3	खरोली	छत्तीसगढ़	महान	आर	46
4	पसल	छत्तीसगढ़	रिहंद	एस	55
5	दुनियाधिन	छत्तीसगढ़	रिहंद	एस	80
6	कर्री	छत्तीसगढ़	रिहंद	आर	70
7	हसदेव (बंगो)	छत्तीसगढ़	हसदेव	एस	55
8	कोटा	छत्तीसगढ़	साबरी	आर	65
9	घिनाकोट	छत्तीसगढ़	इंद्रावती	एस	38
10	बोधघाट	छत्तीसगढ़	इंद्रावती	एस	295
11	गुद्रा	छत्तीसगढ़	गुद्रा	एस	22
12	कुत्रू-I	छत्तीसगढ़	इंद्रावती	एस	100
13	कुत्रू-II	छत्तीसगढ़	इंद्रावती	एस	155
14	नुगुर-I	छत्तीसगढ़	इंद्रावती	एस	160
15	भोपलापट्टनम	छत्तीसगढ़	इंद्रावती	एस	715
16	नुगुर-II	छत्तीसगढ़	इंद्रावती	एस	270
17	कोत्री	छत्तीसगढ़	कोत्री	एस	70
	कुल (छत्तीसगढ़)				2242
1	दमनगंगा चरण-I	गुजरात	दमनगंगा	एस	14
2	दमनगंगा चरण -II	गुजरात	दमनगंगा	आर	6
3	उकाई कनल पीएच	गुजरात	ताप्ती	आर	7
4	उकाई डैम पीएच	गुजरात	ताप्ती	एस	120
5	सरदार सरोवर	गुजरात	नर्मदा	एस	470
6	पनम	गुजरात	पनम	एस	2
	कुल (गुजरात)				619
1	नंदवेल	महाराष्ट्र	पूर्ण	एस	11
2	गिर्ना	महाराष्ट्र	गिर्ना	एस	4
3	सूर्या	महाराष्ट्र	सूर्या	एस	4
4	पिंजल I	महाराष्ट्र	पिंजल	एस	4
5	पिंजल II	महाराष्ट्र	पिंजल	एस	7
6	वैतर्ना I	महाराष्ट्र	वैतर्ना	एस	28
7	वैतर्ना II	महाराष्ट्र	वैतर्ना	आर	7
8	वैतर्ना III	महाराष्ट्र	वैतर्ना	आर	7
9	भत्सा आर.बी.सी	महाराष्ट्र	भत्सा	एस	3
10	भत्सा आर.बी.सी	महाराष्ट्र	भत्सा	एस	10
11	कालू	महाराष्ट्र	कालू	एस	16
12	देलबहल	महाराष्ट्र	कुंडलिक	आर	10
13	भिरा टैल रेस	महाराष्ट्र	कुंडलिक	आर	55
14	कप्शी	महाराष्ट्र	कप्शी	एस	13
15	बाव	महाराष्ट्र	बाव	एस	22
16	कज्वी	महाराष्ट्र	कज्वी	एस	14
17	मचकंदी	महाराष्ट्र	मचकंदी	एस	11
18	वघोटन	महाराष्ट्र	वघोटन	एस	19
19	गड	महाराष्ट्र	गड	एस	21
20	तिल्लारी	महाराष्ट्र	तिल्लारी	एस	39
21	पेंच	महाराष्ट्र	पेंच	एस	85
22	पथरी	महाराष्ट्र	वैनगंगा	एस	40
23	वैनगंगा	महाराष्ट्र	वैनगंगा	एस	150
24	समदा	महाराष्ट्र	प्ररहिता	आर	95
25	घरगांव	महाराष्ट्र	प्ररहिता	आर	105
26	कुन्धारा	महाराष्ट्र	प्ररहिता	आर	115
27	बंदे	महाराष्ट्र	बंदे	एस	15
28	प्राहिता	महाराष्ट्र	प्ररहिता	एस	310
29	मनुसदारी	महाराष्ट्र	अरण	एस	7

30	सैफल	महाराष्ट्र	पेनगंगा	आर	20
31	सहस्रकुंड II	महाराष्ट्र	पेनगंगा	आर	12
32	सहस्रकुंड I	महाराष्ट्र	पेनगंगा	एस	29
33	पूर्ण (येलदारी)	महाराष्ट्र	पूर्ण	एस	18
34	भंदरदारा III	महाराष्ट्र	प्रवारा	आर	10
35	भंदरदारा II	महाराष्ट्र	प्रवारा	आर	14
36	भंदरदारा I	महाराष्ट्र	प्रवारा	एस	17
37	मानिकडोह	महाराष्ट्र	कुकडी	एस	8
38	बिबी	महाराष्ट्र	भीमा	एस	7
39	भीवपुरी	महाराष्ट्र	आंध्रा	एस	85
40	खोपोली	महाराष्ट्र	गंगा	एस	70
41	पाउना	महाराष्ट्र	पौना	एस	5
42	भिरा	महाराष्ट्र	मुला	एस	215
43	वीरबाजी	महाराष्ट्र	मुथा	एस	11
44	पंशेट	महाराष्ट्र	मुथा	एस	8
45	भटघर	महाराष्ट्र	नीरा	एस	18
46	वीर	महाराष्ट्र	नीरा	एस	9
47	गिरवी	महाराष्ट्र	नीरा	एस	8
48	उज्जानी	महाराष्ट्र	भीमा	एस	17
49	देवडी	महाराष्ट्र	भीमा	आर	9
50	कस	महाराष्ट्र	उर्मोडी	एस	7
51	कोयना चरण-IV	महाराष्ट्र	कोयना	एस	350
52	कोयना चरण -III	महाराष्ट्र	कोयना	आर	145
53	कोयना चरण-I एवं II	महाराष्ट्र	कोयना	एस	245
54	कोयना डैम पीएच	महाराष्ट्र	कोयना	एस	65
55	पथरपुंज	महाराष्ट्र	वर्ना	एस	29
56	कदवी	महाराष्ट्र	वर्ना	एस	215
57	वर्ना	महाराष्ट्र	वर्ना	एस	27
58	कसारी-I	महाराष्ट्र	कसारी	एस	215
59	कसारी-II	महाराष्ट्र	कसारी	आर	13
60	कुभी-I	महाराष्ट्र	पेनगंगा	एस	170
61	कुभी-II	महाराष्ट्र	पेनगंगा	आर	27
62	दूधगंगा	महाराष्ट्र	दूधगंगा	एस	15
63	हिरण्यकेशी II	महाराष्ट्र	वेदगंगा	एस	405
64	हिरण्यकेशी I	महाराष्ट्र	हिरण्यकेशी	एस	24
	कुल (महाराष्ट्र)				3769
1	सोनल	गोवा	मंडावी	एस	55
	कुल (गोवा)				55
121	कुल (पश्चिमी क्षेत्र)				8928
	दक्षिणी क्षेत्र				
1	सिंगुर	तेलंगाना	मंजरा	एस	9
2	निजामसागर	तेलंगाना	मान्जरा	एस	11
3	पोचम्पाद	तेलंगाना	गोदावरी	एस	47
4	कुंतला	तेलंगाना	कदम	एस	19
5	इंचमपल्ली	तेलंगाना	गोदावरी	एस	920
6	सिंगरेडडी	तेलंगाना	गोदावरी	आर	250
7	दम्मागुडेम	तेलंगाना	गोदावरी	आर	360
8	पुलिचिंताला	तेलंगाना	कृष्णा	एस	180
9	नागार्जुनसागर एलबीसी	तेलंगाना	कृष्णा	आर	42
10	नागार्जुनसागर डैम फेज	तेलंगाना	कृष्णा	एस	115
11	प्रियदर्शिनी	तेलंगाना	कृष्णा	आर	105
	कुल (तेलंगाना)				2058
1	जलापुट	आंध्र प्रदेश	मचकुंड	एस	25

2	मचकुंड	आंध्र प्रदेश	मचकुंड	आर	205
3	बालिमेला	आंध्र प्रदेश	सिलेरू	एस	65
4	अपर सिलेरू	आंध्र प्रदेश	सिलेरू	एस	150
5	दौंकाराई कैनाल	आंध्र प्रदेश	सिलेरू	एस	44
6	लोअर सिलेरू	आंध्र प्रदेश	सिलेरू	आर	385
7	पोलावरम	आंध्र प्रदेश	गोदावरी	एस	545
8	पोंडुगला	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	एस	95
9	नागार्जुनसागर आरबीसी	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	आर	45
10	श्रीसैलम	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	एस	775
11	तुंगभद्रा एचएलसी	आंध्र प्रदेश	भद्रा	आर	32
	कुल (आंध्र प्रदेश)				2366
1	कोटनी	कर्नाटक	मांडवी	एस	24
2	कृष्णापुर	कर्नाटक	मांडवी	आर	210
3	कालीनाड़ी (सुपा)	कर्नाटक	मांडवी	एस	140
4	कालीनाड़ी (डांडेली-II)	कर्नाटक	मांडवी	आर	60
5	कालीनाड़ी (नागझारी)	कर्नाटक	कालिंदी	एस	855
6	कालीनाड़ी (कड़ास्सली)	कर्नाटक	कालिंदी	एस	95
7	कालीनाड़ी-I (काडरा)	कर्नाटक	कालिंदी	एस	100
8	कालीनाड़ी-I (मराडी)	कर्नाटक	कालिंदी	एस	175
9	गंगावली (बेडटी) एसटी.I	कर्नाटक	गंगावली	एस	380
10	गंगावली (सोंदा) एसटी.II	कर्नाटक	गंगावली	एस	105
11	अघनाशिनी	कर्नाटक	अघनाशिनी	एस	370
12	बन्निहोल	कर्नाटक	बन्निहोल	एस	55
13	लिंगानामक्की	कर्नाटक	शरावती	एस	125
14	शरावती	कर्नाटक	शरावती	आर	1365
15	शरावती तैल रेस	कर्नाटक	शरावती	आर	157
16	मणि डैम	कर्नाटक	वाराही	एस	14
17	वाराही	कर्नाटक	वाराही	आर	305
18	मछडू	कर्नाटक	वाराही	आर	35
19	नेरिया	कर्नाटक	नेरिया	एस	12
20	नेत्रावती	कर्नाटक	नेत्रावती	एस	60
21	सिरपदी	कर्नाटक	नेत्रावती	आर	38
22	गुंदिया	कर्नाटक	गुंदिया	एस	20
23	कुमाराधारी	कर्नाटक	कुमाराधारी	एस	49
24	बारापोल I	कर्नाटक	बारापोल	एस	335
25	जलदुर्ग	कर्नाटक	कृष्णा	आर	270
26	नारायणपुर	कर्नाटक	कृष्णा	आर	70
27	अलमाटी	कर्नाटक	कृष्णा	एस	160
28	घाटप्रभा	कर्नाटक	तुंगभद्रा	एस	41
29	मल्लपुर	कर्नाटक	तुंगभद्रा	आर	11
30	शिवपुर	कर्नाटक	तुंगभद्रा	आर	26
31	मुनिआरबाद	कर्नाटक	तुंगभद्रा	एस	41
32	हम्पी	कर्नाटक	तुंगभद्रा	आर	34
33	तुंगभद्रा आरबीसी	कर्नाटक	तुंगभद्रा	एस	27
34	भद्रा एलबीसी	कर्नाटक	भद्रा	आर	4
35	तुंगभद्रा डैम पीएच	कर्नाटक	भद्रा	एस	36
36	भद्रा आरबीसी	कर्नाटक	भद्रा	आर	18
37	होलालू	कर्नाटक	भद्रा	एस	21
38	कृष्णाराजसागर	कर्नाटक	कावेरी	एस	55
39	काबिनी	कर्नाटक	काबिनी	एस	19
40	शिवसमुद्रम	कर्नाटक	कावेरी	आर	44
41	शिम्शा फेज-I	कर्नाटक	कावेरी	आर	31
42	कावेरी फेज-I	कर्नाटक	कावेरी	आर	235

43	शिम्शा फेज-II	कर्नाटक	शिम्शा	आर	42
44	अर्कावती	कर्नाटक	अर्कावती	आर	42
45	कावेरी फेज-II	कर्नाटक	कावेरी	आर	165
46	कावेरी फेज-III	कर्नाटक	कावेरी	आर	90
47	कावेरी फेज-IV	कर्नाटक	कावेरी	आर	36
	कुल (कर्नाटक)				6602
1	बारापले-II	केरल	बारापोल	आर	85
2	कुट्टियादी	केरल	कुट्टियादी	एस	80
3	चलिपुझा	केरल	बेपोर	एस	50
4	चोलाथिपुझा	केरल	बेपोर	एस	80
5	पंडियार पुन्नापुझा II	केरल	पंडियार	आर	85
6	साइलेंट वैली	केरल	कुंडिपुझा	एस	130
7	इड्डुक्की I & II	केरल	पेरियार	एस	565
8	इड्डुक्की III	केरल	पेरियार	एस	130
9	लोअर पेरियार	केरल	पेरियार	आर	145
10	पल्लीवासाल रिप्लेसमेंट	केरल	मुदिरापुझा	एस	190
11	सैंगुलम	केरल	डब्ल्यू. कल्लार	एस	55
12	अनायीरांकल	केरल	पन्नियार	एस	11
13	राजाकाड पी/एच	केरल	मुदिरापुझा	एस	23
14	मुदिरापुझा	केरल	मुदिरापुझा	आर	17
15	पन्नियार पेरिंजाकुट्टी	केरल	पन्नियार	आर	10
16	पन्नियार	केरल	पन्नियार	एस	40
17	नेरियामंगलम	केरल	दिरापुझा	आर	65
18	पेरिंजाकुट्टी	केरल	पेरिंजाकुट्टी	एस	120
19	मनाली	केरल	इदमलयार	एस	36
20	कुडल	केरल	इदमलयार	एस	47
21	मणिकुलम	केरल	पुयनुकुट्टी	एस	14
22	पुयनुकुट्टी	केरल	पुयनुकुट्टी	एस	285
23	इदमलयार	केरल	इदमलयार	एस	55
24	शोलैयार	केरल	शोलैयार	एस	75
25	अनैकायम	केरल	चलकुड्डी	एस	12
26	कारापारा	केरल	कारापार	एस	12
27	पुल्लीकालार	केरल	कुरियाकुट्टी	एस	14
28	कुरियाकुट्टी	केरल	कुरियाकुट्टी	एस	65
29	पोरिंगलकुथु (आर.बी)	केरल	चलकुड्डी	एस	65
30	पोरिंगलकुथु (एल.बी)	केरल	चलकुड्डी	एस	60
31	अदिरापल्ली	केरल	चलकुड्डी	आर	65
32	सबारगिरि	केरल	पाम्बा	एस	410
33	कक्कड	केरल	कक्कड	आर	75
34	लोअर सबारगिरि	केरल	कक्कड	एस	55
35	ट्विन कालार मल्टीपर्स	केरल	अचानकोविल	एस	65
36	कलाडा	केरल	कलाडा	एस	15
37	अआर पेंडियार II	केरल	पेंडियार	आर	8
38	मंथावडी	केरल	काबिनी	एस	200
	कुल (कर्नाटक)				3514
1	अपर पेंडियार I	तमिलनाडु	पेंडियार	एस	11
2	पेंडियार-पुन्नपुझा I	तमिलनाडु	पेंडियार	एस	125
3	अक्कामलाई	तमिलनाडु	भारतपुझा	आर	14
4	अपर अलियार	तमिलनाडु	भारतपुझा	एस	90
5	पेरियार लेक	तमिलनाडु	पेरियार	एस	145
6	निरार	तमिलनाडु	इदमलयार	आर	26
7	शोलैयार - I	तमिलनाडु	शोलैयार	एस	75
8	शोलैयार - II	तमिलनाडु	शोलैयार	एस	14

9	सरकारपति	तमिलनाडु	पेरियार	एस	33
10	कोडयार I	तमिलनाडु	कोडयार	एस	65
11	कोडयार II	तमिलनाडु	कोडयार	आर	30
12	परलियार	तमिलनाडु	परलियार	आर	39
13	मेदुर डैम फेज	तमिलनाडु	कावेरी	एस	32
14	मेदुर टनल फेज	तमिलनाडु	कावेरी	एस	100
15	लोअर मेदुर	तमिलनाडु	कावेरी	आर	115
16	भवानी कट्टलई	तमिलनाडु	कावेरी	आर	115
17	लोअर भवानी	तमिलनाडु	भवानी	एस	34
18	लोअर मोयार	तमिलनाडु	मोयार	एस	33
19	मोयार	तमिलनाडु	मोयार	आर	75
20	पयकारा (सिंगारा)	तमिलनाडु	मोयार	एस	115
21	पयकारा (अल्टिमेट)	तमिलनाडु	मोयार	एस	60
22	पारसंस वैली (कुंडा 6)	तमिलनाडु	मोयार	एस	12
23	पारसंस वैली (कुंडा 5)	तमिलनाडु	भवानी	एस	16
24	अवलांची इम्लड (कुंडा-1)	तमिलनाडु	कुंडा	एस	70
25	कुंडापल्लम (कुंडा 2)	तमिलनाडु	कुंडा	आर	160
26	पेंगुम्बहल्ला (कुंडा 3)	तमिलनाडु	कुंडा	आर	95
27	पिल्लुर (कुंडा-4)	तमिलनाडु	भवानी	एस	25
28	नेल्लीथोरे	तमिलनाडु	भवानी	एस	13
29	कुन्नूर - कालार	तमिलनाडु	कालार	आर	10
30	अपन अमरावती	तमिलनाडु	अमरावती	एस	20
31	षण्मुखीनदी	तमिलनाडु	अमरावती	एस	23
32	कुन्नूर	तमिलनाडु	सुरुलियार	आर	13
33	कम्बम	तमिलनाडु	सुरुलियार	आर	10
34	तुम्बईकुतम	तमिलनाडु	वैगाई	एस	7
35	वैरावन	तमिलनाडु	सुरुलिआर	आर	24
36	सुरुलिआर	तमिलनाडु	सुरुलिआर	आर	30
37	सुरुलिआर	तमिलनाडु	सेरवैयार	एस	13
38	पपनसम	तमिलनाडु	तम्बरपरणी	आर	31
	कुल (तमिलनाडु)				1918
145	कुल (दक्षिणी क्षेत्र)				16458
	पूर्वी क्षेत्र				
1	स्वर्णरेखा एसटी-I	झारखंड	स्वर्णरेखा	एस	24
2	स्वर्णरेखा एसटी-II	झारखंड	स्वर्णरेखा	आर	12
3	कांची	झारखंड	कांची	एस	13
4	स्वर्णरेखा एमपीपी	झारखंड	स्वर्णरेखा	एस	30
5	कोयल कारो एसटी-II (बैसिया फेज)	झारखंड	एस.कोयल	एस	16
6	कोयल कारो एसटी-II (लोएंगा फेज)	झारखंड	एस.कोयल	आर	7
7	कोयल कारो एसटी-I (राईटोली फेज)	झारखंड	एस.कोयल	आर	19
8	कोयल कारो एसटी-I (लम्पन्गखेल फेज)	झारखंड	एन.कोयल	एस	145
9	सेरेनगडा	झारखंड	एन.कोयल	आर	37
10	डोलकी	झारखंड	ब्राह्मणी	आर	16
11	साउथ कारो	झारखंड	एस.कारो	एस	10
12	अपर शंख एसटी-I	झारखंड	शंख	एस	6
13	अपर शंख एसटी-II	झारखंड	शंख	आर	55
14	लोअर शंख	झारखंड	शंख	एस	55
15	डुमकी	झारखंड	शंख	आर	20
16	पंचेत हिल	झारखंड	दामोदर	एस	40
17	मैथन	झारखंड	दामोदर	एस	60
18	तिलैया डैम	झारखंड	दामोदर	एस	4
19	कुटकुल	झारखंड	एन.कोयला	एस	24
20	खांडवान	झारखंड	सोन	एस	160

	कुल (झारखंड)				753
1	सोन कैनाल	बिहार	सोन	आर	10
2	कोसी कैनाल	बिहार	कोसी	आर	20
3	ईस्टर्न गंडक कैनाल	बिहार	गंडक	आर	40
	कुल (बिहार)				70
1	बूढ़ा बलांग	ओडिशा	बूढ़ा बलांग	एस	4
2	सालंदी (हदगढ़)	ओडिशा	सालंदी	एस	3
3	कनुपार	ओडिशा	वैतरणी	एस	5
4	भीमकुंड	ओडिशा	वैतरणी	एस	29
5	बालिजोरी	ओडिशा	वैतरणी	एस	230
6	लोदनी	ओडिशा	ब्राह्मणी	एस	42
7	रंगाली	ओडिशा	ब्राह्मणी	एस	135
8	नाराज	ओडिशा	महानदी	एस	215
9	टिक्कारापारा	ओडिशा	महानदी	एस	205
10	हीराकुंड एसटी-III	ओडिशा	महानदी	आर	175
11	हीराकुंड एसटी-II	ओडिशा	महानदी	आर	155
12	हीराकुंड एसटी-I	ओडिशा	महानदी	एस	150
13	अपर इंद्रावती	ओडिशा	इंद्रावती	एस	585
14	अपर कोलाब	ओडिशा	सबरी	एस	280
15	लोअर कोलाब	ओडिशा	सबरी	एस	375
16	बालिमेला	ओडिशा	बालिमेला	एस	405
17	पोट्टेरू फेज-I	ओडिशा	पोट्टेरू	आर	3
18	पोट्टेरू फेज-II	ओडिशा	पोट्टेरू	आर	3
	कुल (ओडिशा)				2999
1	बालसन	पश्चिम बंगाल	बालसन	आर	33
2	तीस्ता हाई डैम	पश्चिम बंगाल	तीस्ता	एस	2505
3	रम्माम-I	पश्चिम बंगाल	रम्माम	आरओआर	70
4	रम्माम-II	पश्चिम बंगाल	रम्माम	आरओआर	85
5	रम्माम-III	पश्चिम बंगाल	रम्माम	आरओआर	100
6	जलढाका-I	पश्चिम बंगाल	जलढाका	आरओआर	36
7	जलढाका -II	पश्चिम बंगाल	जलढाका	आरओआर	12
	कुल (पश्चिम बंगाल)				2841
1	कालेप	सिक्किम	तीस्ता	आरओआर	41
2	तालेम	सिक्किम	तीस्ता	आरओआर	65
3	जेदांग	सिक्किम	लोनक	आरओआर	185
4	जेमा	सिक्किम	तीस्ता	आरओआर	125
5	सेरूम	सिक्किम	सेबोकुंग	आरओआर	50
6	लाचुंग	सिक्किम	लाचुंग	आरओआर	30
7	रिंग्पी	सिक्किम	रिंग्पी	आरओआर	160
8	लिंग्चा	सिक्किम	रिंग्पी	आरओआर	160
9	रूकेल	सिक्किम	तोलुंग	आरओआर	90
10	रांग्यौंग	सिक्किम	तोलुंग	आरओआर	175
11	दिक्चु	सिक्किम	दिक्चु	आरओआर	90
12	छोटा पतिंग	सिक्किम	रौंगपो	आरओआर	55
13	रौंगनी स्टोरेज	सिक्किम	रौंगनी	एस	95
14	माना	सिक्किम	जी. रंजीत	आरओआर	37
15	योक्साम	सिक्किम	राथौंग	आरओआर	44
16	ममिअम	सिक्किम	जी. रंजीत	आरओआर	175
17	गोम्पा	सिक्किम	जी. रंजीत	आरओआर	46
18	लिग्शिप	सिक्किम	जी. रंजीत	आरओआर	115
19	चुनथंग	सिक्किम	तीस्ता	आरओआर	830
20	सिधिक	सिक्किम	तीस्ता	आरओआर	685
21	पनान	सिक्किम	तोलुंग	आरओआर	230

22	मनगण	सिक्किम	तीस्ता	आरओआर	445
23	सामदोंग	सिक्किम	तीस्ता	आरओआर	280
24	लोअर लग्याप	सिक्किम	रोंगपी	आरओआर	40
25	चूजाशेन	सिक्किम	रोंगपो	आरओआर	13
26	मुनतेलीतार	सिक्किम	रोंगपो	आरओआर	25
	कुल (सिक्किम)				4286
74	कुल (पूर्वी क्षेत्र)				10949
	उत्तरी क्षेत्र				
1	हुटोंग	अरुणाचल प्रदेश	लूहित	आरओआर	950
2	गिमलिआंग	अरुणाचल प्रदेश	दाउ	आरओआर	31
3	राईगन	अरुणाचल प्रदेश	देलाई	आरओआर	32
4	टिडिंग-I	अरुणाचल प्रदेश	टिडिंग	आरओआर	31
5	कलाई	अरुणाचल प्रदेश	लूहित	आरओआर	2550
6	डेम्बे	अरुणाचल प्रदेश	लूहित	एस	3765
7	चेम्बा	अरुणाचल प्रदेश	तेंगापम	आरओआर	12
8	टोयोम	अरुणाचल प्रदेश	तेंगापम	आरओआर	13
9	टिडिंग-II	अरुणाचल प्रदेश	टिडिंग	आरओआर	22
10	डियून डाम	अरुणाचल प्रदेश	नोआडहिंग	एस	25
11	इलियांग	अरुणाचल प्रदेश	दाउ	आरओआर	25
12	इटेलिन	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग	आरओआर	3045
13	इमरा-II	अरुणाचल प्रदेश	इमरा	आरओआर	870
14	एमुलिन	अरुणाचल प्रदेश	माटुन	आरओआर	235
15	इमिनी	अरुणाचल प्रदेश	माटुन	आरओआर	295
16	एगोलिन	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग	आरओआर	235
17	मुलिनये	अरुणाचल प्रदेश	टेंगन	आरओआर	335
18	इमरा-I	अरुणाचल प्रदेश	इमरा	आरओआर	275
19	टाटो-II	अरुणाचल प्रदेश	सियोम	आरओआर	360
20	नेइंग	अरुणाचल प्रदेश	सियोम	आरओआर	495
21	पासिघाट	अरुणाचल प्रदेश	दिहांग	एस	14685
22	मिहुनडन	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग	आरओआर	145
23	अटुनली	अरुणाचल प्रदेश	एंगन	आरओआर	175
24	इलेन्गो	अरुणाचल प्रदेश	अही	आरओआर	180
25	यांगसांग	अरुणाचल प्रदेश	यांनसांग	आरओआर	70
26	रिगोंग	अरुणाचल प्रदेश	रिगोंग	आरओआर	130
27	मिराक	अरुणाचल प्रदेश	सिगोंग	आरओआर	160
28	मिन्निङ्ग	अरुणाचल प्रदेश	सिगोंग	आरओआर	195
29	पॉक	अरुणाचल प्रदेश	यरजाप	आरओआर	50
30	हियो	अरुणाचल प्रदेश	यरजाप	आरओआर	90
31	जरोंग	अरुणाचल प्रदेश	सियोम	आरओआर	85
32	हिरोंग	अरुणाचल प्रदेश	सियोम	आरओआर	180
33	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	यरजाप	आरओआर	80
34	जीमेंग	अरुणाचल प्रदेश	साइक	आरओआर	37
35	जारू	अरुणाचल प्रदेश	यामने	एस	60
36	यापिन	अरुणाचल प्रदेश	यामने	आरओआर	95
37	पेन्गिंग	अरुणाचल प्रदेश	यामने	आरओआर	60
38	सेसेरी	अरुणाचल प्रदेश	सेसेरी	आरओआर	55
39	डिबांग स्टोर	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग	एस	2355
40	ओजू-I	अरुणाचल प्रदेश	सुबानसीरी	आरओआर	1925
41	ओजू-II	अरुणाचल प्रदेश	सुबानसीरी	आरओआर	2580
42	निआरे	अरुणाचल प्रदेश	सुबानसीरी	आरओआर	1405
43	नाबा	अरुणाचल प्रदेश	सुबानसीरी	आरओआर	1290
44	हेगियो	अरुणाचल प्रदेश	कुरुंग	आरओआर	250
45	कुरुंग डैम-I	अरुणाचल प्रदेश	कुरुंग	एस	200

46	कुरुंग डैम-II	अरुणाचल प्रदेश	कुरुंग	आरओआर	115
47	तम्मू	अरुणाचल प्रदेश	सियू	आरओआर	55
48	मिली	अरुणाचल प्रदेश	कुरुंग	आरओआर	75
49	सेप	अरुणाचल प्रदेश	कुरुंग	आरओआर	38
50	चोमी	अरुणाचल प्रदेश	कुरुंग	आरओआर	80
51	चेला	अरुणाचल प्रदेश	कुरुंग	आरओआर	75
52	निएपिन	अरुणाचल प्रदेश	पायाम	आरओआर	32
53	हिया	अरुणाचल प्रदेश	पायाम	आरओआर	41
54	तमेन	अरुणाचल प्रदेश	कामला	आरओआर	175
55	पार	अरुणाचल प्रदेश	डिकरॉंग	आरओआर	65
56	दारडू	अरुणाचल प्रदेश	डिकरॉंग	आरओआर	60
57	याजली स्टोरेज	अरुणाचल प्रदेश	रंगा	एस	95
58	डूडमुख स्टोरेज	अरुणाचल प्रदेश	डिकरॉंग	एस	170
59	सुबासीरी डैम	अरुणाचल प्रदेश	सुबानसीरी	एस	4520
60	टैगो-I	अरुणाचल प्रदेश	यरजाप	आरओआर	55
61	टैगो-II	अरुणाचल प्रदेश	सियोम	आरओआर	13
62	याजली डिव..II	अरुणाचल प्रदेश	रंगा	आरओआर	415
63	सीरी	अरुणाचल प्रदेश	जजिया ढोल	एस	16
64	किमिन	अरुणाचल प्रदेश	पानयोर	आरओआर	22
65	बिचोम-II	अरुणाचल प्रदेश	बिचोम	आरओआर	205
66	भरेली लिफ्ट डैम-I	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	आरओआर	240
67	भरेली लिफ्ट डैम -II	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	आरओआर	330
68	टैगा	अरुणाचल प्रदेश	टैगा	एस	275
69	कामेंग डैम	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	एस	280
70	किमी	अरुणाचल प्रदेश	बिचोम	आरओआर	535
71	चंदा	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	आरओआर	110
72	बदाओ	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	आरओआर	120
73	रेब्बी	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	आरओआर	30
74	पारा	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	आरओआर	55
75	टलॉंग	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	एस	150
76	सतुक	अरुणाचल प्रदेश	पाचुक	आरओआर	47
77	कापक लेयक	अरुणाचल प्रदेश	पाचुक	आरओआर	195
78	लचुंग	अरुणाचल प्रदेश	पाची	आरओआर	41
79	फांचुंग	अरुणाचल प्रदेश	पाची	आरओआर	90
80	उटुंग	अरुणाचल प्रदेश	बिचोम	आरओआर	110
81	नाजॉंग	अरुणाचल प्रदेश	बिचोम	आरओआर	65
82	डिब्लिन	अरुणाचल प्रदेश	बिचोम	आरओआर	95
83	खुईताम	अरुणाचल प्रदेश	डिगेन	आरओआर	29
84	बुट	अरुणाचल प्रदेश	डिगेन	आरओआर	26
85	मेथिटिंग	अरुणाचल प्रदेश	डिगेन	आरओआर	40
86	बिचोम स्टोरेज-I	अरुणाचल प्रदेश	बिचोम	एस	190
87	विचेंग	अरुणाचल प्रदेश	कुरू	एस	31
88	तरांग बरांग	अरुणाचल प्रदेश	पाचा	आरओआर	65
89	सेपला	अरुणाचल प्रदेश	पाचा	आरओआर	46
90	पासर	अरुणाचल प्रदेश	पासर	एस	32
91	पक्के	अरुणाचल प्रदेश	पक्के	आरओआर	120
92	सेबा	अरुणाचल प्रदेश	पक्के	आरओआर	105
93	पापू	अरुणाचल प्रदेश	पापू	एस	160
94	टेबे	अरुणाचल प्रदेश	पाचूक	आरओआर	24
95	दूम	अरुणाचल प्रदेश	डिगेन	आरओआर	4
96	डलरांग	अरुणाचल प्रदेश	सैंडटी	आरओआर	6
97	थेमबेंग	अरुणाचल प्रदेश	डिगेन	आरओआर	20
98	चुरेट	अरुणाचल प्रदेश	पापू	आरओआर	25

99	यंगमैन स्टोरेज	अरुणाचल प्रदेश	बुरही डिहिंग	एस	60
100	टिपेंग	अरुणाचल प्रदेश	तिरेप	एस	80
101	लुंगचेंग	अरुणाचल प्रदेश	तिरेप	आरओआर	21
102	मपोपनॉंग	अरुणाचल प्रदेश	बुरही डिहिंग	आरओआर	16
	कुल (अरुणाचल प्रदेश)				50328
1	डिखू लिफ्ट डैम	नागालैंड	डिखू	एस	125
2	यंगन्यू स्टोरेजा	नागालैंड	डिखू	एस	135
3	झंजी स्टोरेज	नागालैंड	झंजी	एस	75
4	डोयांग-V	नागालैंड	डोयांग	एस	55
5	डिखू डैम पी.एच.	नागालैंड	डिखू	आरओआर	470
6	झंजी लिफ्ट डैम	नागालैंड	झंजी	आरओआर	21
7	डिफूपानी	नागालैंड	डिफू	एस	9
8	रेंगमा	नागालैंड	रेंगमा	एस	12
9	डोयांग-IV	नागालैंड	डोयांग	आरओआर	18
10	डोयांग-III	नागालैंड	डोयांग	आरओआर	13
11	डोयांग-II	नागालैंड	डोयांग	आरओआर	14
12	डोयांग-I	नागालैंड	डोयांग	एस	16
13	सखाई-II	नागालैंड	तीजू	आरओआर	31
14	खुजामी	नागालैंड	तीजू	एस	32
15	रूरुर	नागालैंड	जंगकी	एस	36
16	जंगकी	नागालैंड	जंगकी	एस	48
17	लरूरी	नागालैंड	तीजू	आरओआर	80
18	तीजू	नागालैंड	तीजू	एस	365
19	सखाई I	नागालैंड	तीजू	एस	8
20	सखाई III	नागालैंड	तीजू	आरओआर	11
	कुल (नागालैंड)				1574
1	दिल्ली स्टोरेज	असम	डिसांग	एस	33
2	दिसाई डैम पी/एच	असम	दिसाई	एस	15
3	कैलेनी	असम	कैलेनी	एस	15
4	जमुना डैम पी/एच	असम	जमुना	एस	28
5	डियुंग डैम पी/एच	असम	डियुंग	एस	47
6	लेंगे	असम	बोरपानी	आरओआर	37
7	कोपीली I	असम	कोपीली	एस	50
8	कोपीपी II	असम	कोपीली	एस	265
9	लोअर बोरपानी	असम	बोरपानी	आरओआर	90
10	एमरिंग	असम	एमरिंग	एस	40
11	अपर बोरपानी	असम	बोरपानी	एस	60
	कुल (असम)				680
1	उमरिना	मेघालय	कुलसी	आरओआर	14
2	अमलांगफांग	मेघालय	यूमियम	आरओआर	28
3	यूमियम अमडू-III	मेघालय	यूमियम	आरओआर	41
4	यूमियम अमडू-IV	मेघालय	यूमियम	आरओआर	38
5	यूमियम अमडू-V	मेघालय	यूमियम	आरओआर	27
6	यूमियम अमडू-VI	मेघालय	यूमियम	एस	145
7	समर-I	मेघालय	यूमियम	एस	11
8	समर-II	मेघालय	अमडू	आरओआर	6
9	अमडू (एग्सेस्टिंग)	मेघालय	अमडू	आरओआर	11
10	सिंसेंग डैम पी.एच.	मेघालय	सोमेसश्री	एस	65
11	किंशी-I स्टोरेज	मेघालय	किंशी	एस	295
12	सुशेन	मेघालय	मिंटडू	आरओआर	150
13	सेलिम	मेघालय	मिंटडू	एस	125
14	अमजोट	मेघालय	अमजोट	आरओआर	85
15	अमडुमा	मेघालय	अमडू	आरओआर	95

16	मन्हू	मेघालय	अमडू	आरओआर	90
17	नोंगलिंगकेन	मेघालय	अमडू	आरओआर	47
18	अमंगी स्टोरेज	मेघालय	अमंगी	एस	35
19	रंगमाव	मेघालय	अमंगी	आरओआर	42
20	नोंगकोलेट	मेघालय	अमंगी	आरओआर	180
21	नोंगनाम	मेघालय	अमंगी	आरओआर	36
22	मावपट	मेघालय	अमंगी	आरओआर	55
23	किंशी-II	मेघालय	अमरीलेंग	आरओआर	175
24	नोंगमावलर	मेघालय	किंशी	आरओआर	29
25	मावरिपरत	मेघालय	किंशी	आरओआर	45
26	माउथोबा	मेघालय	किंशी	एस	70
27	मावब्ली स्टोरेज	मेघालय	किंशी	एस	100
28	अमेगम स्टोरेज	मेघालय	रोंगडी	एस	35
29	अमनगोट स्टोरेज	मेघालय	अमनगोट	एस	265
30	नोंगपाडू	मेघालय	अमनगोट	आरओआर	24
31	अमक्राम	मेघालय	किंशी	एस	11
32	सिडूगिरी	मेघालय	रोंगडी	आरओआर	19
	कुल (मेघालय)				2394
1	लुंगलेंग स्टोरेज	मिजोरम	टयाओ	एस	690
2	बोईनू स्टोरेज.	मिजोरम	केलडन	एस	635
3	केलडन स्टोरेज	मिजोरम	केलडन	एस	545
4	भैरावी	मिजोरम	धलेश्वरी	एस	90
5	सोनाई	मिजोरम	सोनाई	एस	55
6	मैट	मिजोरम	मैट	एस	90
7	डैह	मिजोरम	डैह	एस	26
8	धलेश्वरी-I	मिजोरम	धलेश्वरी	एस	8
9	टुईपाई	मिजोरम	टुईपाई	एस	23
10	टुईकुग लुई	मिजोरम	टुईकुग लुई	एस	24
11	धलेश्वरी -II	मिजोरम	धलेश्वरी	आरओआर	10
	कुल (मिजोरम)				2196
1	लनीये-II	मणिपुर	लनीये	आरओआर	27
2	लनीये-I	मणिपुर	लनीये	एस	34
3	खोंगनेम चाखा -II	मणिपुर	बराक	एस	90
4	खोंगनेम चाखा-III	मणिपुर	बराक	आरओआर	48
5	नुंगनेंग	मणिपुर	इरांग	एस	70
6	नुंगलीबैन	मणिपुर	लेईमटैक	एस	85
7	खुनोड	मणिपुर	लेईमटैक	आरओआर	115
8	थिनघाट	मणिपुर	टुईवेई	एस	41
9	सिंजल	मणिपुर	टुईवेई	एस	39
10	बुंगपुईलॉंग	मणिपुर	टुईवेई	एस	80
11	टिपाइमुख	मणिपुर	बराक	एस	510
12	इरांग	मणिपुर	इरांग	एस	75
13	पैबाराम स्टोरेज	मणिपुर	बराक	एस	232
14	लोकटक	मणिपुर	लोकटक	एस	105
15	टुईवेई	मणिपुर	टुईवेई	आरओआर	210
16	खोंगनेम चाखा I	मणिपुर	बराक	एस	7
17	खोंगनेम चाखा IV	मणिपुर	बराक	आरओआर	16
	कुल (मणिपुर)				1784
1	गुमटी	त्रिपुरा	गुमटी	एस	15
	कुल (त्रिपुरा)				15
194	कुल (उत्तर-पूर्वी)				58971
845	कुल (अखिल भारत)				148701

राज्य सभा में दिनांक 09.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1685 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत वर्ष के दौरान तथा चालू पंचवर्षीय योजना में जल विद्युत स्टेशनों (25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले) के संबंध में विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन

योजना/वर्ष	उत्पादन (बीयू)		लक्ष्य की तुलना में उत्पादन का %
	लक्ष्य	वास्तविक	
11वीं योजना			
2007-08	105.90	119.81	113.10
2008-09	114.84	109.84	96.65
2009-10	115.47	103.92	90.00
2010-11	111.35	114.26	102.61
2011-12	112.05	130.51	116.47
12वीं योजना			
2012-13	122.05	113.72	93.18
2013-14	122.26	134.85	110.29
2014-15	124.30	129.24	103.98
2015-16*	128.00	121.34	94.80
2016-17	134.00	7.24#	-

* अनंतिम

28.04.2016 तक अनंतिम उत्पादन

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1686

जिसका उत्तर 09 मई, 2016 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा ताप विद्युत और सौर ऊर्जा का विलय

1686. डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि एनटीपीसी के कोयला आधारित ऐसे ताप विद्युत स्टेशनों जो 25 वर्षों की सेवा अवधि पूरी कर लेंगे, के विद्युत का एनटीपीसी द्वारा स्थापित किये जा रहे सौर विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत के साथ विलय किया जाएगा;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) किन-किन राज्यों ने इस निर्णय के संबंध में अपनी सहमति/असहमति प्रदान की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हां।

(ख) और (ग) : विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 16.07.2015 के आदेश संख्या 13/6/2015-ओएम के तहत एक निर्देश जारी किया है कि एनटीपीसी के कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों जो 25 वर्ष पूरा करते हैं, से विद्युत का देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार की योजना के भाग के रूप में एनटीपीसी द्वारा स्थापित की जा रही सौर क्षमता के साथ बंडलिंग करने के लिए उपयोग किया जायेगा।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 17.07.2015 को आदेश संख्या 13/6/2015-ओएम के तहत एनटीपीसी की सौर-क्षमता के साथ बंडलिंग करने के लिए सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एसएसटीपीएस) से 2000 मेगावाट विद्युत का आबंटन जारी किया है।

एसएसटीपीएस के लाभार्थियों में से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान ने निर्णय का समर्थन किया। जम्मू एवं कश्मीर जो कि एसएसटीपीएस का मूल लाभार्थी नहीं है, ने बंडल की गई विद्युत प्राप्त करने के लिए सहमति दे दी है। दिल्ली और पंजाब के डिस्काम सहमत नहीं हुए हैं।
